[2021] 10 एस. सी. आर 1

महान मुंबई का नगरपालिका निगम

बानाम

अंकीता सिन्हा और ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 12122-12123 2018 का)

07 अक्टूबर, 2021

[ए. एम. खानविलकर, हृषिकेश रॉय और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010: विधानक इतिहास।

अधिनियम की प्रस्तावना और उद्देश्यों और कारणों का विवरण

एन. जी. टी. के अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा-चर्चा की गई।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010: व्याख्या-उद्देश्यपूर्ण व्याख्या-प्रावधान को इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए उन्हें बढ़ाने का इरादा, विशेष रूप से क्योंकि वे Art.21 के तहत अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित हैं और महत्वपूर्ण पर्यावरण नीति और इसके नियामक पहलुओं से भी निपटते हैं।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010: प्रमुख विशेषताएँ

चर्चा की।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका-एन. जी. टी. अधिनियम की अनुसूची I से संबंधित है -

पर्यावरण संबंधी कुछ अधिनियमों जैसे कि जल अधिनियम, वायु अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम आदि का कार्यान्वयन-इन अधिनियमों को देखते हुए, एन. जी. टी. के लिए विस्तारित भूमिका स्पष्ट रूप से स्पष्ट है-एन. जी. टी. की गतिविधियाँ केवल लोगों की सुरक्षा के लिए ही नहीं हैं।

पर्यावरण लेकिन यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि विकास का कारण न बने

पारिस्थितिकी और पर्यावरण को गंभीर और अपूरणीय क्षति-एनजीटी मुख्य रूप से पर्यावरण की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है-एक विशेष मंच के रूप में, एनजीटी से विवादों को निपटाने और निर्णय लेने के अलावा निवारक कार्रवाई करने और पर्यावरण से संबंधित

सभी प्रश्नों पर आदेश पारित करने की उम्मीद की जाएगी-एनजीटी केवल एक न्यायिक निकाय नहीं है, बल्कि रोकथाम, उपचार और सुधार की प्रकृति में व्यापक कार्य करना है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की शक्ति-पर्यावरणीय घटनाओं से होने वाली क्षति के मामले में -

एन. जी. टी. को क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिस्थापन अभ्यास करने का अधिकार है।

पर्यावरणीय घटनाओं से प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति -

सबसे बड़ा।

प्रवचन जो ऐसे कार्यों को सूचित करता है, वितरण से संबंधित है।

और सुधारात्मक न्याय, नुकसान की अनुपस्थिति में भी

मानव एजेंसी, एक प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, एनजीटी होगा

क्षति को कम करने के लिए एक योजना तैयार करने की आवश्यकता-एक पूछताछ

एन. जी. टी. के लिए प्रतिकूल महत्व के भीतर और बिना कार्य भी उपलब्ध है-इनमें से कई कार्यों के लिए सक्रिय कार्य की आवश्यकता नहीं होती है।

" विवाद ", लेकिन निर्णयों का निर्माण।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण: सुओ मोटो पावर, द का अभ्यास

विशेष न्यायाधिकरण की स्वत: संज्ञान शक्तियों का प्रयोग कुछ हद तक है

संवैधानिक न्यायालयों द्वारा प्रयोग किए जाने वालों से अलग - उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी भी मुद्दे पर हस्तक्षेप कर सकते हैं

उनका संवैधानिक जनादेश लेकिन एनजीटी स्वाभाविक रूप से यात्रा नहीं कर सकता है

अनुसूचित के संदर्भ में अपने पर्यावरणीय क्षेत्र से परे

इसका उल्लंघन किया गया है, एनजीटी की शक्तियों को व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए आयाम।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण: एन. जी. टी. की विशिष्टता बनाम अन्य

न्यायाधिकरण वैधानिक न्यायाधिकरणों को इसके अंतर्गत आने के लिए वर्गीकृत किया गया है

चार उपशीर्षक; Art.323A के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण; Art.323B के तहत न्यायाधिकरण; विशेष क्षेत्र न्यायाधिकरण और सबसे प्रमुख रूप से;

Art.21 के तहत अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायाधिकरण-एनजीटी के कर्तव्य

इसे चौथी श्रेणी के दायरे में लाता है, जिससे एक

बहुत अधिक व्यापक शक्तियों का उपयोग करने के लिए सम्मोहक प्रस्ताव कानून द्वारा चित्रित।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण: एनजीटी में सुई जेनरिस की भूमिका-एनजीटी

विशेष मंच एनजीटी सुई जेनरिस के साथ एक न्यायाधिकरण है

पर्यावरण की रक्षा के लिए-एक के रूप में इसकी न्यायिक भूमिका के अलावा अपीलीय प्राधिकरण, यह भी जिम्मेदारी के साथ प्रदान किया जाता है

पर्यावरण से संबंधित प्रश्न-एक होने की आवश्यकता बहुआयामी को संभालने की विशेषज्ञता के साथ विशेष निकाय

पर्यावरणीय मुद्दे एक सर्वव्यापी ढांचे की अनुमति देते हैं।

पर्यावरणीय न्याय के लिए-विकसित पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता हो सकती है

निश्चित रूप से इसके प्रभावी होने के लिए एक लचीले संस्थागत तंत्र की आवश्यकता होती है। व्यायाम करें।

बृहन्मुंबई का नगरपालिका निगम v. अंकीता सिन्हा और ओआरएस।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण: मामले का स्वत: संज्ञान लेने के लिए एक प्राधिकरण-एनजीटी को इसमें शामिल करने की आवश्यकता नहीं है

केवल पीड़ित या इच्छुक पक्ष द्वारा कार्रवाई-एनजीटी द्वारा शक्ति का प्रयोग आवेदन की प्राप्ति द्वारा सीमित नहीं है जब पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं और मुद्दा नागरिक

प्रकृति का होता है और जो अधिनियम की अनुसूची I में अधिनियमनों से संबंधित होते हैं, तो एनजीटी आवेदन के अभाव में भी सुधार की दिशा में या सुधार की दिशा में कार्रवाई कर सकता है। हानि की रोकथाम।

पर्यावरण कानून: एहतियाती सिद्धांत-का अनुप्रयोग

सरकारी अधिकारियों या प्रदूषकों को अन्य 'निर्णय' या 'आदेश', जब वे पर्यावरण क्षरण के कारणों का अनुमान लगाने, रोकने और उन पर हमला करने में विफल रहते हैं, तो दो पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए: इस बात पर जोर दिया गया कि एन. जी. टी. को स्वयं निवारक कार्य करने की आवश्यकता है

और सुरक्षात्मक उपायों के साथ-साथ पर्यावरणीय हितों को बनाए रखने में विफल रहने के लिए सरकारी और निजी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना-इस प्रकार, एनजीटी की शक्तियों के लिए एक संकीर्ण व्याख्या को अपनाने से बचना चाहिए जो पर्यावरण क्षेत्र सिद्धांतों/सिद्धांतों के भीतर मंच की शक्ति के पूर्ण प्रवाह की अनुमति देता है। -

पर्यावरण कानून: पर्यावरण न्याय और समानता-जब

एक बड़े वर्ग के लिए मूल न्याय मायावी है, जो एक कथित प्रक्रियात्मक के लिए, बहुत ही वेदी पर मूल अधिकारों से अलग है। कमी, निश्चित रूप से एक ऐसी प्रक्रिया लाएगी, जो आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की असमानता को आगे बढ़ाती है-एक "समान आधार" अवधारणा, इसलिए, प्रदूषकों और उनके कार्यों से प्रभावित लोगों के बीच विषम संबंधों को पर्याप्त रूप से संबोधित करने के लिए संभव नहीं हो सकती है, इसके बजाय, कानूनी प्रणाली तक पहुंच और प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के ऐतिहासिक अनुभव की मान्यता, सामाजिक वास्तविकताओं की आवश्यक सराहना की अनुमति देगी और

न्याय के हाथ को संतुलित करना।

पकड़ना: 1.1 भारत के विधि आयोग की 186 वीं रिपोर्ट दिनांक 23.9.2003, विधि आयोग ने बनाई थी एक [2021] 10 एस. सी. आर. के निर्माण के लिए मामले का समर्थन करने वाला प्रासंगिक अवलोकन।

पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए विशेष न्यायालय। रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों से पता चलता है कि विधि आयोग की राय थी कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के लिए स्थानीय पूछताछ करना या प्राप्त करना सुविधाजनक नहीं था

सबूत। इसके अलावा, उच्च न्यायालयों को उनकी सहायता के लिए स्थायी आधार पर विशेषज्ञ पर्यावरण वैज्ञानिकों तक पहुंच नहीं होगी। इसलिए, एन. जी. टी. की कल्पना एक पूरक के रूप में की गई थी।

सभी पर्यावरणीय बहु-अनुशासनात्मक मुद्दों से मूल रूप से और एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में निपटने के लिए विशेष मंच, जिन जटिल मुद्दों को अब तक उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाता था। इसलिए एन. जी. टी. का उद्देश्य पर्यावरण के मुद्दों से निपटने के लिए एक सक्षम मंच बनना था। जिनका न्यायालयों की रिट अधिकारिता के तहत प्रचार किया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से नोट किया गया था कि एन. जी. टी. के निर्माण की अनुमति होगी

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के तहत हस्तक्षेप करने से बचने के लिए जब एक वैकल्पिक प्रभावी उपाय हो

विशेष मंच के समक्ष उपलब्ध हो जाएगा। [पैरा 13.2,

13.3 , 13.4] [28 - डी; 29-डी-ई, एफ]

1.2 न्यायिक समीक्षा की शक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए हटा दिया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा मामले से पहले मध्यस्थ जांच के माध्यम से न्यायाधिकरण के आदेशों में उच्च न्यायालयों के हस्तक्षेप से बचा जाए। उच्चतम न्यायालय की यात्रा करें जहाँ एनजीटी के आदेश हो सकते हैं

चुनौती दी। तंत्र को सुव्यवस्थित करना उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी के बढ़ते ज्वार को रोकना और ऐसे मुद्दों को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित करना था। इस तरह प्रस्तावित मंच को साक्षय के नियमों से मुक्त कर दिया गया और एनजीटी को मौखिक और दस्तावेजी साक्षय, विशेषज्ञों से परामर्श आदि के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने की अनुमति दी गई।

हालाँकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य था। [पैरा 13.4 और 13.5] [30-बी-सी; 30-डी]

2.1 एन. जी. टी. अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण को पढ़ने से पता चलता है कि इसके पैराग्राफ 4 में राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 (एन. ई.

टी.) जो खतरनाक पदार्थों को संभालते समय होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले सख्त दायित्व और नुकसान के लिए प्रावधान करता है। इसी संदर्भ में यह देखा गया कि एन. ई. टी. के पास बहुत सीमित और संकीर्ण जनादेश था

और अधिकार क्षेत्र। इसके बाद, पैरा 5 में यह दर्ज किया गया है कि ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेट मुंबई v.

अंकीता सिन्हा और ओआरएस।

उच्चतर क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पर्यावरणीय मामले लंबित हैं।

जिन न्यायालयों में बहु-अनुशासनात्मक मुद्दे शामिल होते हैं और ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के विधि आयोग से विशेष पर्यावरण न्यायालयों के गठन की आवश्यकता पर विचार करने का अनुरोध किया था। महत्वपूर्ण रूप से, उद्देश्यों और कारणों का विवरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा होने के कारण एक स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को भी संदर्भित करता है। यह पहले उल्लिखित 186 वें विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप था, जिसमें कहा गया था कि इस प्रकार बनाए गए निकाय का उद्देश्य "एक निष्पक्ष, तेज और संतोषजनक न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21,47,48 ए, 51 ए (जी) के उद्देश्यों को प्राप्त करना" होगा। [पैरा 14.2,14.3] [31-जी-एच; 32-ए-सी]

2.2 उद्देश्यों और कारणों के कथन का पैराग्राफ 2 जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को संदर्भित करता है जिसमें सरकारों और लोगों से मानव पर्यावरण के लिए सामान्य प्रयास करने का आह्वान किया गया था।

मानव पर्यावरण का संरक्षण और सुधार जब इसमें लोग और उनकी भावी पीढ़ी शामिल हों। इसलिए, न केवल पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए बल्कि इसकी रक्षा के लिए भी इस तरह के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ अधिनियमित नगरपालिका कानून को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने सुरक्षात्मक, निवारक और उपचारात्मक कार्य के निर्वहन के लिए साधन प्रदान किया जाना चाहिए। इसलिए एन. जी. टी. के अधिदेश और अधिकार क्षेत्र को व्यापक आयाम का माना जाता है और यह एक सुई जेनरिस फोरम की प्रकृति में है। [पैरा 14.4] [32-सी-ई]

2.3 जून, 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसमें भारत ने भाग लिया, ने राज्यों को न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही तक प्रभावी पहुंच प्रदान करने, निवारण और उपचार निर्धारित करने और प्रदूषण और अन्य

पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों के लिए दायित्व और मुआवजे के संबंध में राष्ट्रीय कानूनों को विकसित करने के लिए प्रभावित किया। अधिनियम की प्रस्तावना में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को समझने पर जोर दिया गया था, जिसे भारत में विभिन्न न्यायिक घोषणाओं द्वारा स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का जन्म हमारे देश में पर्यावरण से संबंधित बहु-अनुशासनात्मक मुद्दों से निपटने के लिए ऐसे बुलंद सपनों के साथ हुआ था।

पूर्ववर्ती मंच अर्थात एन. ई. टी. को प्रदत्त सीमित अधिदेश और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के संकीर्ण दायरे के साथ-साथ कई लोगों की भागीदारी

पर्यावरणीय मामलों में उत्पन्न होने वाले अनुशासनात्मक मुद्दों को एन. जी. टी. के गठन के माध्यम से संबोधित करने का इरादा था। [पैरा 14.5,14.6] [32-ई-एच; 33-ए]

3.1 एन. जी. टी. का उद्देश्य व्यापक सामाजिक चिंताओं को दूर करना है। क़ानून को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए और प्रत्येक

अधिनियम के प्रावधान को उस शरारत को समझकर उसका उचित अर्थ दिया जाना चाहिए जिसका वह निवारण करना चाहता है। हेडन के नियम का उपयोग यहां पर्याप्त रूप से सहायता कर सकता है क्योंकि नियम उस निर्माण को अपनाने का निर्देश देता है जो "शरारत को दबाएगा और उपचार को आगे बढ़ाएगा"। [पैरा 15.1,15.3] [33-बी-सी, जी]

बंगाल इम्यूनिटी कं. वी. बिहार राज्य [1955] 2 एससीआर

603 ; ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 661-इसके बाद।

फ्रांसिस बेनिओन सांविधिक व्याख्या वर्णित है;

पनामा रिफाइनिंग कं. वी. रयान 47 कोलंबिया लॉ रिव्यू 527-संदर्भित।

3.2 एन. जी. टी. के निर्माण के लिए प्रशंसनीय उद्देश्य इस तरह की व्याख्यात्मक प्रक्रिया को अपनाने का आग्रह करेंगे जो इसे प्राप्त करेगी।

विधायी उद्देश्य और अक्षमता कहने के लिए प्रक्रियात्मक बाधा या तो छोड़ देंगे। इस न्यायालय के उदाहरण एक ऐसे निर्माण का सुझाव देते हैं जो अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करता है। इस न्यायालय के लिए विकल्प उस व्याख्या की ओर झुकना होगा जो विधायी इरादे के फलने-फूलने की अनुमति देगा और दूरदर्शी है। प्रावधानों को उन्हें स्पष्ट करने के इरादे से पढ़ा जाना चाहिए, विशेष रूप से क्योंकि वे अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित हैं और महत्वपूर्ण पर्यावरण नीति और इसके नियामक पहलुओं से भी निपटते हैं। [पैरा 15.6] [34-जी; 35-ए-बी] 4.1 धारा 14 एन. जी. टी. को पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है; धारा 15 राहत, मुआवजे और क्षतिपूर्ति से संबंधित है जिसके द्वारा प्रदूषण के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के अलावा, एन. जी. टी. संपत्ति के नुकसान की बहाली और ऐसे क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए पर्यावरण की बहाली का निर्देश दे सकता है जो न्यायाधिकरण उचित समझे। धारा 16 बृहन्मुंबई के नगरपालिका निगम बनाम द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध न्यायाधिकरण को अपीलीय अधिकारिता प्रदान करती है।

अंकीता सिन्हा और ओआरएस।

विभिन्न अधिनियमों के तहत। धारा 17 में भुगतान करने के दायित्व का प्रावधान है।

कुछ मामलों में राहत या क्षतिपूर्ति, धारा 18 निर्दिष्ट करती है कि कौन न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन/अपील कर सकता है। इसमें अन्य बातों के अलावा, 18 (2) (डी) "किसी भी प्रतिनिधि निकाय/संगठन सहित कोई भी व्यथित व्यक्ति" शामिल है और इसका कोई स्थान नहीं है।

केवल पीड़ित पक्ष तक ही सीमित। धारा 19 में प्रावधान है -

न्यायाधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियाँ। धारा 19 (1) में महत्वपूर्ण रूप से कहा गया है कि न्यायाधिकरण सी. पी. सी. में निर्धारित प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं होगा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से बाध्य होगा। धारा 19 (2) में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, न्यायाधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्तियां होंगी। धारा 19 (3) में उल्लेख किया गया है कि न्यायाधिकरण साक्षय अधिनियम, 1872 में निहित साक्षय के नियमों से बाध्य नहीं होगा। धारा 19 (4) के तहत कार्यों का निर्वहन करते समय, समन भेजने, उपस्थिति को लागू करने, शपथ पर व्यक्तियों की जांच करने, दस्तावेजों की खोज और उत्पादन की आवश्यकता, शपथ पर साक्षय प्राप्त करने के अलावा, एनजीटी के पास अपने निर्णय की समीक्षा करने, अंतरिम आदेश पारित करने के साथ-साथ संघर्ष विराम आदेश पारित करने की भी शक्तियां हैं। धारा 20 में कहा गया है कि मुद्दों पर निर्णय लेते समय न्यायाधिकरण पर्यावरण सिद्धांतों, अर्थात् सतत विकास सिद्धांतों, एहतियाती सिद्धांतों और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को

लागू करेगा। धारा 25 के तहत, न्यायाधिकरण अपने आदेश/निर्णय को दीवानी न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादित कर सकता है और उस उद्देश्य के लिए उसके पास दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। धारा 29 सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को न्यायाधिकरण द्वारा कवर किए गए सभी पर्यावरणीय मामलों पर विचार करने से रोकती है। धारा 33 के तहत, एनजीटी अधिनियम का अन्य कानूनों पर एक प्रबल प्रभाव पड़ता है। [पैरा 16.1] [35-बी-एच; 36-ए-बी]

4.2 जबकि वैधानिक प्रावधानों पर, यह देखा जाता है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया है

न्याय का अंत। यह शक्ति उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कर्तव्य के साथ जुड़ी हुई है। इरादे. पर्यावरण और उससे जुड़े मामलों को संरक्षित और संरक्षित करना समझ में आता है। व्यापक महत्व के एक वाक्यांश को नियोजित करने का विकल्प चुनकर, यानी न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, विधायिका एक उदार व्याख्या की ओर बढ़ी है। न्याय सुनिश्चित करना एक [2021] 10 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यापक आयाम की अवधि और इसका मतलब केवल दो प्रतिद्वंद्वी संस्थाओं के बीच विवादों का निर्णय करना नहीं है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण अधिकारों के कारणों को आगे बढ़ाना, आपदाओं के पीड़ितों को मुआवजा देना, पर्यावरण के सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए योजनाएं बनाना और यहां तक कि इसे आगे बढ़ाना भी शामिल है।

आवश्यकता पड़ने पर निष्क्रियता के लिए अधिकारी। इसके अलावा, दीवानी अदालतों के विपरीत जो पक्षों द्वारा मांगी गई राहत से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, एनजीटी को किसी भी राहत को ढालने की शक्ति प्रदान की जाती है। प्रावधानों से पता चलता है कि एन. जी. टी. के पास उचित राहत देने की व्यापक शक्ति है जो तथ्यों और परिस्थितियों में उचित हो सकती है। भले ही इस तरह की राहत के लिए पक्षों द्वारा विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया जा सकता है। [पैरा 16.2,16.3,16.4,16.5] [36-बी-सी, डी-जी]

4.3 पर्यावरण की एक और विशिष्ट विशेषता

फोरम लोकस स्टैंडी के पहलू पर है जिसे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के लिए उपलब्ध व्यापक बनाया गया था। इस प्रकार, कोई भी व्यक्ति या संगठन जो इस विषय में रुचि

रखता है मामले को एन. जी. टी. से संपर्क करने की अनुमति है। एन. जी. टी. अधिनियम और एन. जी. टी. नियमों के प्रावधानों से पता चलता है कि एन. जी. टी. द्वारा असंख्य भूमिकाओं का निर्वहन किया जाना है, जैसा कि विधि आयोग की रिपोर्ट, प्रस्तावना और उद्देश्यों और कारणों के विवरण में शामिल किया गया था। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पर्यावरण अधिकारों के संरक्षण की दिशा में स्टॉकहोम और रियो डी जनेरियो सम्मेलनों में लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता से भी सामने आता है। [पैरा 16.6,16.7] [36-जी-एच, 37-ए-बी]

5. एनजीटी की गैर-न्यायिक भूमिकाएँ

5.1 जैसा कि देखा जा सकता है, संसद का इरादा एनजीटी को व्यापक अधिकार क्षेत्र प्रदान करने का था ताकि वह बड़ी संख्या में लोगों से निपट सके।

पर्यावरण से संबंधित मुद्दे जिन पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय या संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा था। न्यायाधिकरण से इस समझ के साथ ऐसे मामलों पर आगे बढ़ने की भी उम्मीद की जाती है कि पर्यावरण और पर्यावरण सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा हैं। [पैरा 17.1] [37-बी-डी]

वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम। यूओआई (1996) 5 एससीसी

647 : [1996] 5 पूरक। एस. सी. आर. 241 पर भरोसा किया।

बृहन्मुंबई का नगरपालिका निगम v. अंकीता सिन्हा और ओआरएस।

5.2 एन. जी. टी. अधिनियम की अनुसूची I कुछ पर्यावरण संबंधी अधिनियमों के कार्यान्वयन से संबंधित है जैसे कि

जैसे जल अधिनियम, वायु अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम आदि। इन अधिनियमों को देखते हुए, एन. जी. टी. की विस्तारित भूमिका स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। एन. जी. टी. की गतिविधियाँ न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए हैं कि विकास से पारिस्थितिकी और पर्यावरण को गंभीर और अपूरणीय क्षति न हो। ये एनजीटी अधिनियम के साथ-साथ इसके निर्माण के लिए एक व्यापक कैनवास का सुझाव देंगे। [पैरा 17.2] [37-डी-एफ]

5.3 पर्यावरण मंच के लिए, के साथ कार्य सौंपा

अनुसूची I में उल्लिखित कानूनों का कार्यान्वयन

एन. जी. टी. अधिनियम, एल. आई. एस. की अवधारणा, स्पष्ट रूप से दीवानी मामलों में सामान्य समझ से परे होगी जहां एक पक्ष (चाहे वह निजी हो या सरकारी) पर्यावरण को परेशान कर रहा हो और दूसरा एक

(वह कोई व्यक्ति, निकाय या स्वयं सरकार हो सकती है), जिसे पर्यावरण की सुरक्षा की चिंता है। इसलिए, एनजीटी मुख्य रूप से पर्यावरण की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। विशेष मंच के रूप में, एन. जी. टी. से अपेक्षा की जाएगी कि वह विवादों को निपटाने और निर्णय लेने के अलावा निवारक कार्रवाई करे और पर्यावरण से संबंधित सभी प्रश्नों पर आदेश पारित करे। एन. जी. टी. सिर्फ नहीं है

एक न्यायनिर्णायक निकाय लेकिन रोकथाम, उपचार और सुधार की प्रकृति में व्यापक कार्य करना पड़ता है। [पैरा 17.3,17.4] [37-एफ-जी; 38-ए]

5.4 एन. जी. टी. को पर्यावरण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए प्रतिस्थापन अभ्यास करने का अधिकार है।

घटनाएँ। इस तरह के कार्यों को सूचित करने वाला बड़ा प्रवचन है

वितरण और सुधारात्मक न्याय से संबंधित। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मानव एजेंसी द्वारा किए गए नुकसान के अभाव में भी न्यायाधिकरण को नुकसान को कम करने के लिए एक योजना तैयार करने की आवश्यकता होगी। एक पूछताछ कार्य भी उपलब्ध है

न्यायाधिकरण, प्रतिकूल महत्व के भीतर और बिना। महत्वपूर्ण रूप से, इनमें से कई कार्यों के लिए सक्रिय "विवाद" की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि निर्णयों के निर्माण की आवश्यकता होती है। [पैरा 18] [38-डी-एफ]

भोपाल गैस पीठ महिला उद्योग संगठन बनाम भारतीय संघ (2012) 8 एस. सी. सी. 326 [2012] 12 एस. सी. आर. 947

पर भरोसा किया।

-

[2021] 10 एस सी आर।

6. एन. जी. टी. द्वारा सुओ मोटु शक्ति का प्रयोग

विशेष न्यायाधिकरण की स्वतः संज्ञान शक्तियों का प्रयोग है

संवैधानिक न्यायालयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले से कुछ अलग। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने संवैधानिक अधिदेश के तहत किसी भी मुद्दे पर हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन एन. जी. टी. स्वाभाविक रूप से निर्धारित अधिनियमों के संदर्भ में अपने पर्यावरणीय क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ सकता है। हालाँकि, जब तक कार्रवाई के क्षेत्र का उल्लंघन नहीं होता है, तब तक एन. जी. टी. की शक्तियों को व्यापक आयाम का समझा जाना चाहिए। शुरुआत से ही, एन. जी. टी. की भूमिका केवल एक एल. आई. एस. की प्रकृति में न्यायनिर्णायक नहीं थी, बल्कि समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाने के लिए थी जो प्रकृति में निवारक, सुधारात्मक या उपचारात्मक हैं। एन. जी. टी. की कार्यात्मक क्षमता का उद्देश्य पूर्ण न्याय करने के लिए व्यापक शक्तियों का लाभ उठाना था।

पर्यावरण आदेश। [पैरा 20,21.6] [39-एफ-एच; 41-एफ-जी]

मंत्री टेकजोन (पी) लिमिटेड बनाम फॉरवर्ड फाउंडेशन (2019)

18 एस. सी. सी. 494; राजीव हितेंद्र पाठक बनाम। अच्युत

काशीनाथ (2011) 9 एससीसी 541 [2011] 10 एससीआर 513; राजीव सूरी बनाम। डीडीए 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 7; आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम। प्रो. एम. वी. नायडू

( ) और ओआरएस। (1999) 2 एससीसी 718 [1999] 1 एससीआर

235 पर भरोसा किया।

7. एन. जी. टी. बनाम-ए-बनाम अन्य न्यायाधिकरणों की विशिष्टता

जबकि कई न्यायाधिकरण अपने निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर काम कर रहे हैं, भिन्नताएं उस तरीके से मौजूद हैं जिसमें उन्हें कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वैधानिक न्यायाधिकरणों को चार उपशीर्षक के तहत वर्गीकृत किया गया था; अनुच्छेद 323 ए के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण; अनुच्छेद 323 बी के तहत न्यायाधिकरण; विशेष क्षेत्र न्यायाधिकरण और सबसे प्रमुख रूप से; अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायाधिकरण। एन. जी. टी. के कर्तव्य इसे चौथी श्रेणी के दायरे में लाते हैं, जिससे बहुत कुछ करने के लिए एक सम्मोहक प्रस्ताव पैदा होता है।

कानून द्वारा निरूपित व्यापक शक्तियाँ। आदर्श यह था कि एक काफी सक्रिय और उत्तरदायी संस्थान बनाया जाए जो स्थिति की मांग के अनुसार अलग-अलग भूमिकाओं में कदम रख सके। अपने कार्य के दौरान, एनजीटी को दुनिया के सबसे प्रगतिशील न्यायाधिकरणों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। इस न्यायशास्त्र की छलांग ने हमारे देश को महान मुंबई v के नगरपालिका निगम के एक विशेष समूह में प्रवेश करने की अनुमति दी है।

अंकीता सिन्हा और ओआरएस।

ऐसे राष्ट्र जिन्होंने व्यापक शक्तियों के साथ ऐसी संस्थाओं की स्थापना की है।

[पैरा 22.1,22.2,22.3] [41-जी-एच; 42-ए-सी; 43-बी-सी]

मेघालय राज्य बनाम। ऑल दिमासा छात्र संघ (2019)

8 एससीसी 177: [2019] 8 एस. सी. आर. 297-निर्भर।

8. एनजीटी की एस. यू. आई. जनरल भूमिका

8.1 एन. जी. टी. की कल्पना एक विशेष मंच के रूप में की गई थी जो न केवल एक दीवानी अदालत के समान विकल्प के रूप में था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय से पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों पर। एनजीटी को हस्तांतरित किए गए मामलों में से कई मामले उच्च न्यायालयों में सामने आए और इस प्रकार यह मान लेना उचित होगा कि स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू करने के लिए इसी तरह की शक्ति है एनजीटी के पास भी उपलब्ध होना चाहिए। [पैरा 24.4] [44-जी-एच; 45-ए]

परमजीत कौर बनाम। पंजाब राज्य (1999) 2 एससीसी 131: [1998] 1 पूरक। एस. सी. आर. 538; डी. जी. एन. एच. ए. आई. बनाम आम आदमी

लोकमन्च 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 572-पर भरोसा किया गया।

8.2 एन. जी. टी. पर्यावरण की रक्षा के लिए विशेष और सभी को शामिल करने वाले अधिकार क्षेत्र के साथ सुई जेनरिस विशेषता वाला एक न्यायाधिकरण है। अपीलीय के रूप में इसकी न्यायिक भूमिका के अलावा प्राधिकरण, इसे पर्यवेक्षी निकाय की भूमिका निभाने और महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय लेने की जिम्मेदारी भी प्रदान की जाती है।

पर्यावरण से संबंधित। बहुआयामी प्रबंधन के लिए विशेषज्ञता के साथ एक विशेष निकाय होने की आवश्यकता पर्यावरणीय मुद्दे पर्यावरणीय न्याय के लिए एक सर्वव्यापी ढांचे की

अनुमति देते हैं। पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए जिन तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता हो सकती है, निश्चित रूप से इसके प्रभावी अभ्यास के लिए एक लचीले संस्थागत तंत्र की आवश्यकता होगी। [पैरा 24.5] [45-बी-सी]

9. स्वयं के साथ प्राधिकरण-सक्रिय क्षमता

9.1 एन. जी. टी. के लिए परिकल्पित विविध भूमिका और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को देखते हुए जो दी जानी चाहिए वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, एन. जी. टी. के पास अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी आवश्यक कार्यों को शुरू करने का तंत्र होना उचित होगा और इसे अनिवार्य रूप से अपने अधिदेश के प्रभावी निर्वहन के लिए मामलों का स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार होना चाहिए। एनजीटी अधिनियम की धारा 14 (1) [2021] 10 एस. सी. आर. से संबंधित है।

क्षेत्राधिकार के साथ, और क्षेत्राधिकार प्रावधान स्पष्ट रूप से यह निर्दिष्ट करने के लिए छोड़ देता है कि एनजीटी को कार्रवाई में लाने के लिए एक आवेदन आवश्यक है। ऐसी स्थितियों में जहाँ की तीन पूर्वापेक्षाएँ

धारा 14 (1) अर्थात सिविल मामले; पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न की भागीदारी; और अधिनियमों का कार्यान्वयन अनुसूची I एन. जी. टी. के अधिकार क्षेत्र और शक्ति से संतुष्ट है।

सक्रिय हो जाता है। इन भौतिक पहलुओं पर, एनजीटी को केवल एक पीड़ित या इच्छुक पक्ष द्वारा कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत होगा कि एनजीटी द्वारा शक्ति का प्रयोग आवेदन की प्राप्ति से सीमित नहीं है। जब पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं और यह मुद्दा नागरिक प्रकृति का होता है और वे अधिनियम की अनुसूची I में अधिनियमनों से संबंधित होते हैं, तो एनजीटी इसके अभाव में भी

अनुप्रयोग, या तो सुधार की दिशा में कार्रवाई को स्वयं प्रज्वलित कर सकता है या हानि की रोकथाम के लिए। [पैरा 25.1,25.3] [45-डी-ई; 46-बी-डी]

9.2 धारा 14 (1) एक स्वतंत्र विशेषता के रूप में मौजूद है, जो बाद के संचालन तंत्र द्वारा संकुचित नहीं है।

उपखंड। धारा 14 की उप धारा (2) एक परिणाम के रूप में कार्य करती है और धारा 14 (1) में निर्दिष्ट प्रश्नों से विवाद उत्पन्न होने पर लागू होती है। इसी प्रकार, उसके बाद उप-धारा (3), संबंधित सीमा की अवधि को संदर्भित करती है।

आवेदन, जब उन्हें एनजीटी को संबोधित किया जाता है। कहाँ?

न्यायनिर्णयन शामिल है, धारा 14 (2) के तहत न्यायनिर्णायक कार्य लागू होता है। जब यह एन. जी. टी. के हस्तक्षेप की आवश्यकता का मामला है, या कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्णय लेने की स्थिति हो सकती है, तो धारा 14 (1) के तहत कार्य किए जा सकते हैं और उनमें कोई औपचारिक आवेदन या न्यायिक प्रक्रिया शामिल नहीं हो सकती है। हालाँकि, बाद के प्रावधान समान रूप से काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए, धारा 14 (1) और एनजीटी के कामकाज के उस व्यापक क्षेत्र के तहत जिम्मेदारियों का अप्रतिबंधित निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए। [पैरा 25.4] [46-डी-जी]

9.3 अन्य बातों के साथ-साथ अधिकार क्षेत्र, अंतरिम आदेश, मुआवजे के भुगतान और समीक्षा से संबंधित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के लिए एनजीटी को आवश्यक आदेश पारित करने के लिए किसी भी आवेदन या अपील की आवश्यकता नहीं है। इन महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग एन. जी. टी. द्वारा किए जाने की उम्मीद है, तार्किक रूप से यह सुझाव देगा कि एन. जी. टी. की कार्रवाई/आदेशों में हमेशा किसी भी आवेदन या महान मुंबई का नगरपालिका निगम शामिल होने की आवश्यकता नहीं है।

अंकीता सिन्हा और ओआरएस।

अपील करें। अन्यथा आयोजित करने से न केवल इसकी प्रभावशीलता कम होगी बल्कि मंच को दिए गए कानूनी जनादेश को भी विफल कर देगा। यह ध्यान में रखना भी प्रासंगिक हो सकता है कि विवादित मामलों से निपटने के दौरान, एनजीटी को "पुरस्कार" और "आदेश" पारित करने की आवश्यकता होती है और क़ानून बार-बार "निर्णय" शब्द का उपयोग करता है। इसलिए "निर्णय" शब्द का परस्पर संबंध बनाना उचित है।

एन. जी. टी. अपनी गैर-प्रतिकूल या पूछताछ भूमिका में, जैसा कि विधि आयोग द्वारा सुझाया गया था और डी. जी. एन. एच. ए. आई. में मान्यता प्राप्त थी। [पैरा 25.5,25.6] [46-जी-एच; 47-बी]

9.4 अनुच्छेद 21 के अधिकारों की रक्षा करने का कर्तव्य व्याख्या की संकीर्ण दिशा पर नहीं टिक सकता है। प्रक्रियात्मक प्रावधान आवश्यक हैं

व्यापक लोक हित में पर्यावरण क्षेत्र में लागू किए गए मूल अधिकारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की अनुमति दी जाए। विशेष मंच को पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभावी होने के लिए इस क्षेत्र में, हमें एन. जी. टी. को एक स्वच्छ पर्यावरण के मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई शुरू करने की सार्वजनिक जिम्मेदारी सौंपने की आवश्यकता है और प्रक्रियात्मक कानून इसके अनुप्रयोग में अवरोधक नहीं होना चाहिए। [पैरा 25.7] [47-सी-डी]

पंजाब और अन्र राज्य। वी. शामलाल मुरारी और अन्र। (1976)

1 एससीसी 719: [1976] 2 एस. सी. आर. 82-पर निर्भर।

9.5 एनजीटी की शक्ति और जिम्मेदारी पर चर्चा करते समय रियो के सिद्धांत 10 को ध्यान में रखना आवश्यक है

घोषणा जो पर्यावरण शासन के प्रमुख स्तंभों के रूप में तीन मौलिक अधिकारों यानी सूचना तक पहुंच, सार्वजनिक भागीदारी तक पहुंच और न्याय तक पहुंच की बात करती है। हालाँकि, निरक्षरता, गतिशीलता की कमी, गरीबी के कारण न्याय तक पहुँच बाधित हो सकती है।

या यहां तक कि नागरिकों की ओर से तकनीकी ज्ञान की कमी। एक अन्य निवारक प्रदूषकों/उल्लंघनकर्ताओं के होने की संभावना है नियमों को दरकिनार करने के लिए पर्याप्त साधनों के साथ शक्तिशाली संस्थाएं। इस प्रकार, व्यक्तियों के लिए न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाना हमेशा संभव नहीं हो सकता है, और ऐसी आवश्यकताओं में एनजीटी को निष्क्रिय नहीं बनाया जाना चाहिए। [पैरा 25.8] [47-एफ-एच]

10. एहतियाती सिद्धांत

10.1 एहतियाती सिद्धांत की उत्पत्ति स्वयं एक संस्थागत दायित्व के रूप में निहित है, जो उन्हें मुख्य रूप से [2021] 10 एस. सी. आर. मानता है।

पर्यावरणीय चिंताओं और उपचारों के लिए जिम्मेदार। एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 20, जिसमें "निर्णय" शब्द शामिल है, "आदेश" और "पुरस्कार" के अलावा, न्यायाधिकरण से 'एहतियाती सिद्धांत' को लागू करने की भी आवश्यकता होती है। [पैरा 26.2 और 26.3] [48-डी-ई] 10.2 इस सिद्धांत को व्यापक आयाम में लागू होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका उपयोग केवल न्यायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है

लेकिन सरकारी अधिकारियों या प्रदूषकों को अन्य 'निर्णयों' या 'आदेशों' के लिए भी, जब वे 'पर्यावरण क्षरण के कारणों का अनुमान लगाने, रोकने और उन पर हमला करने' में विफल रहते हैं। इसलिए दो पहलुओं पर जोर दिया जाना चाहिए अर्थात न्यायाधिकरण को स्वयं निवारक और सुरक्षात्मक उपाय करने के साथ-साथ पर्यावरणीय हितों को बनाए रखने में विफल रहने के लिए सरकारी और निजी प्राधिकरणों को जवाबदेह ठहराना आवश्यक है। इस प्रकार, एन. जी. टी. की शक्तियों के लिए एक संकीर्ण व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए जो पर्यावरण क्षेत्र के भीतर मंच की शक्ति के पूर्ण प्रवाह की अनुमति देता है। [पैरा 26.4] [48-एफ-जी; 49-ए-बी]

10.3 पर्यावरणीय आवश्यकताओं से निपटने के लिए शीघ्रता से कार्य करना न्यायाधिकरण की एक महत्वपूर्ण कानूनी जिम्मेदारी है। द. जिम्मेदारी केवल कानूनी अस्पष्टताओं को हल करना नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय समस्याओं के लिए एक तर्कपूर्ण और उचित परिणाम तक पहुंचना है जो प्रतिकूल होने के साथ-साथ गैर-प्रतिकूल भी हैं। [पैरा 26.5] [49-बी-सी]

11. पर्यावरणीय न्याय और पर्यावरणीय

समानता

11.1 पर्यावरणीय न्याय और समानता के वैचारिक ढांचे को एन. जी. टी. के क्षेत्र के साथ विचार करने योग्य होना चाहिए और कैसे इसके कामकाज और निर्णयों का बड़े पैमाने पर लोगों के सामाजिक-आर्थिक आयामों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। पर्यावरण न्याय की अवधारणा वितरण न्याय का एक त्रिगुण है। प्रक्रियात्मक न्याय और मान्यता के रूप में न्याय। एक विकासशील अवधारणा के रूप में पर्यावरणीय समानता ने इस पर ध्यान केंद्रित किया है

पर पर्यावरणीय नुकसान के असमान प्रभाव

आर्थिक या सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समूह। आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों के अलावा, मानव तत्व को उजागर करने के लिए, इस छत्र शब्द के तहत मानवाधिकारों और पर्यावरणीय क्षरण की चिंताएं ओवरलैप होती हैं। पर्यावरणीय समानता इस प्रकार पर्यावरण म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेट मुंबई v का संतुलित वितरण सुनिश्चित करती है।

अंकीता सिन्हा और ओआरएस।

सतत विकास सिद्धांतों के अनुप्रयोग सहित जोखिमों के साथ-साथ सुरक्षा। [पैरा 27.1] [49-ई-जी]

11.2 जब एक बड़े वर्ग के लिए मूल न्याय मायावी होता है, तो एक कथित प्रक्रियात्मक कमी के कारण मूल अधिकारों से अलग होना निश्चित रूप से एक ऐसी प्रक्रिया लाएगा, जो आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की असमानता को आगे बढ़ाती है। इसलिए प्रदूषकों और उनके कार्यों से प्रभावित लोगों के बीच असममित संबंधों को पर्याप्त रूप से संबोधित करने के लिए एक "समान आधार" अवधारणा संभव नहीं हो सकती है। इसके बजाय, हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के ऐतिहासिक अनुभव की मान्यता, जबकि

कानूनी प्रणाली तक पहुँच और प्रभावी ढंग से उपयोग करने से सामाजिक वास्तविकताओं की आवश्यक सराहना और हाथ को संतुलित करने में मदद मिलेगी न्याय की। [पैरा 27.3] [50-एफ-जी]

12. भारत में पर्यावरण संबंधी अनिश्चितता

12.1 अनुच्छेद 21,32,48ए, 51ए (जी) के दायरे का विस्तार करके, इस न्यायालय ने एक समग्र अस्तित्व के लिए प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार की गारंटी दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात,

इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का विस्तार किया गया है

कई पर्यावरणीय चिंताओं को निर्धारित करने के लिए एक कसौटी बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को अपनाना और उन्हें भारतीय वास्तविकताओं के अनुरूप ढालना भी एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया, क्योंकि शासन में खामियों का उन लोगों द्वारा दोहन किया जा सकता है जिन्हें पर्यावरण क्षरण के लिए ज्यादा चिंता नहीं है। इस न्यायालय द्वारा 'पूर्ण देयता सिद्धांत' का निर्माण इसके लिए एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त वसीयतनामा है। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि इस क्षेत्र में अधिकांश सिद्धांत, संस्थान और तंत्र इस न्यायालय की पहल के कारण बनाए गए हैं। [पैरा 28.2,28.3] [52-ए-बी, सी-डी]

12.2 उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकारों और मानवाधिकारों को एक साथ जोड़कर "न्याय मित्र वातावरण" की भूमिका को अपनाया।

पर्यावरणीय चिंताएँ, जिसके परिणामस्वरूप एक सुई जेनरिस पर्यावरणीय प्रवचन विकसित हो रहा है। पी. आई. एल. याचिकाओं पर विचार करके प्रक्रियात्मक और मूल दोनों तरह के नवाचार किए गए थे।

कानून के अभाव में दिशानिर्देशों और निर्देशों सहित उपचार की मांग करना। कई ऐतिहासिक मामले जो आज तक किले को धारण करते हैं, कुछ आबादी की 'जोखिम' प्रकृति की मान्यता में थे। एन. जी. टी. का निर्माण स्वयं बड़े पैमाने पर [2021] 10 एस. सी. आर. में होना था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय द्वारा इस तरह के मंच के लिए व्यक्त की गई आवश्यकता का हिस्सा। [पैरा 28.4] [52-एफ; 53-ए-बी]

12.3 भारत में पर्यावरण न्यायशास्त्र रहा है

एक लोकतांत्रिक, कल्याण उन्मुख कानूनी शासन को आगे बढ़ाने के लिए आंतरिक। पारिस्थितिकी और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मुद्दों का एक व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए और एक समाज केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके अलावा, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय मुद्दों की प्रकृति में तेजी से गिरावट की प्रवृत्ति है। ऐसे कई संवेदनशील मामलों को एन. जी. टी. को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसका उद्देश्य यह था कि उन मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए।

तकनीकी विशेषज्ञता और कानूनी परिष्कार। उच्च न्यायालय की सक्रियता निश्चित रूप से न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण में देखी जाने की उम्मीद थी। [पैरा 28.6] [53-ई-एफ]

एच. पी. बस स्टैंड प्रबंधन और विकास प्राधिकरण बनाम केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (2021) 4 एस. सी. सी. 309

पर भरोसा किया।

12.4 एन. जी. टी. विकास का संस्थागतकरण है।

पर्यावरण कानून के क्षेत्र में इस न्यायालय द्वारा बनाया गया। प्रगतिशील कदमों ने इसे बहुत व्यापक विरासत में प्राप्त करने की अनुमति दी है। पर्यावरणीय चिंताओं की अवधारणा। इसलिए, इसके कार्यों को संकीर्ण तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, जो भारतीय पर्यावरण न्यायशास्त्र में पहले से की गई प्रगति से अलग है। [पैरा 28.8] [55-ए-बी]

13.1 एन. जी. टी. अधिनियम, जब समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो एन. जी. टी. को केवल न्यायिक भूमिका से परे जाने के लिए बहुत अधिक छूट देता है। द.

संसद का इरादा स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि

पर्यावरणीय न्याय और पर्यावरणीय समानता को स्पष्ट रूप से एनजीटी के ताने-बाने के प्रमुख धागे के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। एनजीटी इसे एक सुई जेनरिस संस्थान के रूप में देखा जाना चाहिए और अनुपयोगी बहु-समूह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, और 2010 के अधिनियम में वर्णित पर्यावरण क्षेत्र के क्षेत्र में सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने के लिए इसकी विशेष और अनन्य भूमिका को अनिवार्य रूप से इस न्यायालय की कानूनी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

[पैरा 30] [55-सी-ई] बृहन्मुंबई का नगरपालिका निगम v. अंकीता सिन्हा और ओआरएस।

प्रजातियों का विलुप्त होना, प्राकृतिक आवास का नुकसान और इसी तरह। इनमें ताजे जल संसाधनों को कम करने, कृषि उपज को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने की प्रवृत्ति भी है, विशेष रूप से शहरों में। नदी और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और कटाव गंभीर चिंता का विषय है। निकट भविष्य में इस तरह के परिवर्तनों के प्रति भारत की बढ़ती संवेदनशीलता का सरकारी मूल्यांकन भी मौजूद है, जिसमें कई देशों ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है और कई अन्य देशों से भी इसका पालन करने का आग्रह किया गया है। अत: प्रकृति की पारिस्थितिकीय असंतुलन जो हमारे अपने समय में भी दिखाई दे रहा है, कम हो सकता है और भविष्य के अप्रत्याशित अन्याय को आज निर्धारित सीमाओं के भीतर नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। दीर्घावधि और अक्सर अपूरणीय पर्यावरणीय क्षति, जिसके एनजीटी द्वारा रोके जाने की उम्मीद है, इस न्यायालय से आग्रह करता है कि वह सातवीं पीढ़ी की स्थिरता का विज्ञापन करे।

सिद्धांत, या 'इरोक्वोइस का महान कानून' (जैसा कि यह इरोक्वोइस जनजाति से उत्पन्न होता है) जिसके लिए सभी निर्णय लेने की आवश्यकता होती है

पंक्ति के नीचे सात पीढ़ियों के लाभ के लिए सामना करें। [पैरा 31,32] [55-ई-जी; 56-ए-बी]

13.3 राष्ट्र और उसके लोगों की भलाई के लिए यह महत्वपूर्ण है कि संबंधित सभी मुद्दों को हल करने के लिए एक लचीला तंत्र हो।

पर्यावरणीय क्षति और परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन ताकि हमारे बच्चों और उसके बाद की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर पर्यावरणीय विरासत पीछे रह जाए। परिस्थितियों में, जहां प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव गंभीर हो सकता है, लेकिन समुदाय

समुदाय "। इस प्रकार, एक सकारात्मक भूमिका, केवल निर्णय से परे आवेदक के कहने पर, पर्यावरण न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से आवश्यक है, जैसा कि क़ानून स्वयं एनजीटी से अपेक्षा करता है। [पारस 33,34] [56-बी-ई] [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13.4 एनजीटी, जिसके लिए विशिष्ट भूमिका की परिकल्पना की गई है, मुश्किल से एक मूक दर्शक बने रहने का जोखिम उठा सकता है जब कोई उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता है। फोरम ने स्वयं पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए सामूहिक रणनीति की आवश्यकता की सही पहचान की है। इस तरह के समाज केंद्रित दृष्टिकोण को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के स्थापित सुरक्षा कवच के भीतर काम करने और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एन. जी. टी. के लिए हैंड्स-ऑफ मोड, जब तत्काल और प्रभावी आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है

प्रतिक्रिया, मंच को अपनी जिम्मेदारी निभाने से कमजोर कर देगी और न्याय के हित में इसे खारिज किया जाना चाहिए। यह तर्क देना प्रक्रियात्मक रूप से विभाजनकारी होगा (जैसा कि यह रहा है) कि एनजीटी उसे लिखे जा रहे एक पत्र पर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन किसी अन्य माध्यम से पर्यावरणीय आवश्यकता के बारे में जानने से एनजीटी को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता है। इस तरह के दृष्टिकोण का समर्थन करना निश्चित रूप से मंच को प्रक्रियात्मक रूप से बंधन में डालना होगा या

अक्षम। [पारस 35,36] [56-एफ-एच; 57-ए-बी] 13.5 जब एन. जी. टी. की रजिस्ट्री को वास्तव में मीडिया में प्रकाशित मामलों सहित कोई संचार या पत्र प्राप्त होता है, तो यह कार्यालय रिपोर्ट के रूप में ऐसे मामलों पर एन. जी. टी. का ध्यान आकर्षित करके स्वतः संज्ञान कार्रवाई शुरू करने का कारण बन सकता है। हालाँकि ऐसी परिस्थितियों में संचार के प्रेषक या समाचार के लेखक को, जैसा भी मामला हो, सूचना देने की आवश्यकता होगी -

सुनवाई के दौरान एन. जी. टी. की सहायता करना और तथ्यात्मक मामलों की पुष्टि करना। यह भी कहा जाना चाहिए कि स्वत: संज्ञान अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का अर्थ इन सिद्धांतों से दूर रहना नहीं है -

प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष खेल। दूसरे शब्दों में, प्रभावित होने की संभावना वाले पक्ष को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।

प्रतिकूल आदेशों का सामना करने से पहले। जो संस्थान अक्सर तत्काल चिंताओं को संबोधित करते हैं, वे प्रक्रियात्मक निटपिक से बहुत कम लाभ प्राप्त करते हैं, जो वैधानिक भावना और पर्यावरण क्षरण की विकसित प्रकृति दोनों के सामने अनुचित हैं। न केवल एक प्रक्रिया मौजूद होनी चाहिए बल्कि ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए यह सार्थक रूप से प्रभावी होनी चाहिए। ऐसी संस्था की भूमिका यांत्रिक या सजावटी नहीं हो सकती है। एक ऐसी व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए जो सार्वजनिक भलाई की भावना को बनाए रखे और हमारे देश के पर्यावरण प्रहरी को दाँत रहित और अप्रभावी न बनाए।

[पैरा 37,39] [57-बी-डी, ई-जी] बृहन्मुंबई का नगरपालिका निगम v. अंकित सिन्हा और ओआरएस।

मानक चार्टर्ड बनाम। धर्मेन्द्र भोही (2013) 15

एस. सी. सी. 341 [2013] 9 एस. सी. आर. 410; ट्रान्सकोर वी. संघ का

भारत (2008) 1 एससीसी 125: [2006] 9 पूरक। एससीआर 785;

टेची तागी तारा बनाम। राजेन्द्र सिंह भंडारी और अन्य।

(2018) 11 एससीसी 734: [2017] 12 एससीआर 956; तमिलनाडु

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड

(2019) 19 एस. सी. सी. 479; सारा मैथ्यू बनाम। हृदय रोग संस्थान

संवहनी रोग (2014) 2 एस. सी. सी 62: [2013] 12 एससीआर 674 ; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नुस्ली नेविल वाडिया

(2008) 3 एससीसी 279: [2007] 13 एससीआर 598; एम. सी मेहता वी. यूओआई (1997) 2 एससीसी 353: [1996] 10 पूरक। एससीआर 973;

एस. जगन्नाथन बनाम भारत संघ (1997) 2 एससीसी 87:

[1996] 9 पूरक। एस. सी. आर. 848; कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र

विकास बोर्ड v. सी. केंचप्पा और ओआरएस। (2006) 6

एससीसी 371: [2006] 2 पूरक। एस. सी. आर. 362; ग्रामीण मुकदमा

और पात्रता केंद्र और अन्य बनाम। यू. पी. और अन्य राज्य

आकाशवाणी 1985 एससी 652 [1985] 3 एससीआर 169; चरण लाल

साहू वी. भारत संघ (1990) 1 एससीसी 613: [1989] 2

पूरक। एस. सी. आर. 597; विरेन्द्र गौर बनाम। हरियाणा राज्य

(1995) 2 एससीसी 577: [1994] 6 पूरक। एससीआर 78; सुभाष

कुमार बनाम। बिहार राज्य (1991) 1 एससीसी 74; एम. सी मेहता

वी. भारत संघ (1987) 1 एससीसी 395 [1987] 1 एससीआर

819 ; एम. सी मेहता बनाम भारत संघ (1986) 2 एससीसी 176

: [1986] 1 एस. सी. आर. 312; भारतीय पर्यावरण परिषद

कानूनी कार्रवाई v. भारत संघ (1996) 3 एससीसी 212:

[1996] 2 एससीआर 503; ए. पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम एम. वी.

नायडू (1999) 2 एस. सी. सी. 718 [1999] 1 एस. सी. आर. 235; ए. पी.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड II v. एम. वी. नायडू (2001) 2 एससीसी
62 [2000] 5 पूरक। एस. सी. आर. 249-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

पैरा

10.1

[2013] 9 एससीआर 410

संदर्भित किया गया है

[2006] 9 पूरक। एससीआर 785

पैरा

10.2

संदर्भित किया गया है

[2011] 10 एससीआर 513

उस पर भरोसा करें

पैरा

10.3

[2017] 12 एससीआर 956

पैरा

11.1

संदर्भित किया गया है

(2019) 19 एस. सी. सी. 479

पैरा

12.1

संदर्भित किया गया है

[1955] 2 एससीआर 603

पैरा 8

संदर्भित [2021] 10

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2013] 12 एससीआर 674

संदर्भित किया गया है

पैरा

15

[2007] 13 एससीआर 598

पैरा

15

संदर्भित किया गया है

[1996] 5 पूरक। एससीआर 241

पैरा

17

उस पर भरोसा करें

[1996] 10 पूरक। एससीआर 973

पैरा

17

संदर्भित किया गया है

[2012] 12 एससीआर 947

उस पर भरोसा करें

पैरा

19

(2019) 18 एससीसी 494

पैरा

21

उस पर भरोसा करें

[1999] 1 एससीआर 235

पैरा

21

उस पर भरोसा करें

[2019] 8 एससीआर 297

उस पर भरोसा करें

पैरा

22

[1998] 1 पूरक। एससीआर 538

उस पर भरोसा करें

पैरा

24

[1976] 2 एससीआर 82

उस पर भरोसा करें

पैरा

25

[1996] 9 पूरक। एससीआर 848

पैरा

26

संदर्भित किया गया है

[2006] 2 पूरक। एससीआर 362

पैरा

26

संदर्भित किया गया है

[1985] 3 एससीआर 169

पैरा

28

संदर्भित किया गया है

[1989] 2 पूरक। एससीआर 597

संदर्भित किया गया है

पैरा

28

[1994] 6 पूरक। एससीआर 78

पैरा

28

संदर्भित किया गया है

(1991) 1 एससीसी 74

पैरा

28

संदर्भित किया गया है

[1987] 1 एससीआर 819

संदर्भित किया गया है

पैरा

28

[1986] 1 एससीआर 312

पैरा

28

संदर्भित किया गया है

[1996] 2 एससीआर 503

संदर्भित किया गया है

पैरा

28

[1999] 1 एससीआर 235

पैरा

28

संदर्भित किया गया है

[2000] 5 पूरक। एससीआर 249

पैरा

28

संदर्भित किया गया है

(2021) 4 एस. सी. सी. 309

उस पर भरोसा करें

पैरा

28

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं।

12123 2018 से।

30.10.2018 और 05.1 दिनांकित निर्णय और आदेश से

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, 2018 की प्रधान पीठ, नई दिल्ली No.510 और 2018 के O. A. में 2018 के आवेदन No.49 की समीक्षा।

बृहन्मुंबई का नगरपालिका निगम v. अंकीता सिन्हा और ओआरएस।

के साथ सिविल अपील सं। 86 और 2019 का 5902 और सिविल अपील

नं. 6273 , 6274 , 6275 , 6276 , 6277-6278 , 6279 , 6280-6281 , 2897 , 6282 , 6283 , 6262 , 6284 , 6285 और 2021 का 6286।

अमित आनंद तिवारी, एएजी, आनंद ग्रोवर, निधेश गुप्ता, संजय

पारिख, गोपाल शंकरनारायणन, वी. गिरि, मुकुल रोहतगी, कृष्णन वेणुगोपाल, साजन पूव्या, जयदीप गुप्ता, आत्माराम एन. एस. नाडकर्णी,

ध्रुव मेहता, सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री आस्था शर्मा, सुश्री मंटिका हरियानी, सिमरजीत सिंह रेखी, वंशदीप डालमिया, हरीश वासुदेवन, सुश्री निष्ठा कुमार, सुश्री

जपनीत कौर, सुश्री वृति गुजराल, सुश्री पल्लवी सिंह, अभिमन्यु श्रेष्ठ, सातविक पारिख, दिव्यांश

खुराना, जेम्स पी. थॉमस, के. के. विनोश, अपजल अंसारी, अभिलाष एम. आर., सयोज मोहनदास एम., अमित कृष्णन, एम. थंगथुराई, संदीप सिंह, महेश अग्रवाल, रोहन तलवार, शिवेंद्र सिंह, ई. सी. अग्रवाल, आनंद कुमार श्रीवास्तव, सुश्री प्रियांशा इंद्र शर्मा, शरण।

बालकृष्णन, प्रतिभा सिंह, अर्पित शुक्ला, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, गुरमीत सिंह मक्कर, सुश्री रुचि कोहली, शिव मंगल शर्मा, भुवन मिश्रा, सी. के. सासी, अब्दुल्ला नसीह, सुश्री मीना के. पी., सुश्री अनिंदिता मित्रा, आशीष वाड, सुश्री तमाली वाड, सुश्री अरुणा सावला, पिंपल शरद, सुश्री सुकृति जग्गी, अजीयो शर्मा, सिद्धार्थ महाजन, संतोष रेबेलो सल्वाडोर, सुश्री आरजू पॉल, अदिराज बाली, सुश्री दीप्ति आर्य मेसर्स जे. एस. वाड एंड कंपनी, जोबी जोस कोंडोडी, एलेक्स एम. स्कारिया, सुश्री उषा नंदिनी वी., बीजू। के. शक्तिवेल, सुश्री आयना वर्मा, सुश्री जसवंती, दर्पण के. एम., सुश्री अमृता शर्मा, प्रकाश एस. राव, रजत जोनाथन शॉ, सुश्री राशि बंसल, बिजो मैथ्यू जॉय, मनु कृष्णन जी., शेषलपा साई बंडारू, ई. एम. एस. अनम, एम. एस. विष्णु शंकर, ए. कार्तिक, एनोच डेविड साइमन जोएल, सुश्री स्मृति सुरेश, साकेत कासिभटला, अर्श खान, प्रशांत कुमार, मोहम्मद। शाहिद अनवर, अमित सिंह, इंतखाब आलम, मोहम्मद नसीम मुगल, सतीश सोलंकी, मुकेश वर्मा, यश पाल ढींगरा, अमित एस. जे., पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, मुकेश कुमार सिंह, ताहिर अशरफ।

सिद्दीकी, जोगी स्कारिया, सुश्री बीना विक्टर, सुश्री एम. प्रिया, रवि लोमोड, के. परमेश्वर, सुश्री ए. श्रीगुरुप्रिया, प्रसाद हेगड़े, जुल्फिकार अली पी. एस., ऑगस्टीन पीटर, सुश्री लक्ष्मी श्री पी., सुश्री सादिया शकील, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., सुश्री प्रीति सिंह, सुश्री रिपुल स्वाति कुमारी, सुविदत्त एम. ए., श्रीमती अनु बी., सुश्री विजयलक्ष्मी राजू, श्रीमती धन्या सी., अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ऋषिकेश रॉय, जे।

" एस्ट्रागोन: चलो चलते हैं।

व्लादिमीर: हम नहीं कर सकते।

एस्ट्रागोन: क्यों नहीं?

व्लादिमीर: हम गोडोट का इंतजार कर रहे हैं। 1

1. विशेष अवकाश याचिकाओं में दी गई छुट्टी।

2. इन मामलों में विचार किया जाना चाहिए कि क्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (संक्षेप में "एनजीटी") के पास राष्ट्रीय कानून के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में सुओ मोटू अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की शक्ति है।

हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 (संक्षेप में, "एनजीटी अधिनियम 2010")।

3. इस समूह के प्रमुख मामले में, यानी 2019 की सिविल अपील संख्या 86 में, एनजीटी ने एक लेख देखा जिसका शीर्षक था "देवनार के कचरा गिरोह:

ऑनलाइन समाचार पोर्टल द क्विंट में द किंगपिन्स एंड देयर मल्टी-करोड़ ट्रेड। लेख में बताया गया है कि कैसे ठोस कचरे के कुप्रबंधन का पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मुंबई शहर में डंपिंग ग्राउंड के आसपास रहने वाले व्यक्तियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

4. एनजीटी ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से उपरोक्त लेख का स्वत: संज्ञान लिया और निर्देश दिया कि लेख लेखक अंकिता सिन्हा एनजीटी के कहने पर पंजीकृत 2018 के ओए नंबर 510 मामले में आवेदक हों। इसके बाद, देवनार के निरीक्षण के लिए कदम उठाए गए

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, क्षेत्र के जिला कलेक्टर और ग्रेटर मुंबई नगर निगम के प्रतिनिधि (संक्षेप में "एमसीजीएम") द्वारा डंपिंग साइट। निरीक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि लैंडफिल साइट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रही, एनजीटी ने 30.10.2018 के आदेश में कहा कि 'पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान स्वयं स्पष्ट है' और एमसीजीएम को भुगतान करने का आदेश दिया।

5. इस न्यायालय ने एमसीजीएम की सिविल अपील संख्या 86/2019 पर विचार करते हुए, एनजीटी द्वारा पारित आदेश के संचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया और उसके बाद संबंधित मामलों पर समान रूप से विचार करने की व्यवस्था की, जहां सामान्य सीमा क्षेत्राधिकार का मुद्दा इस बात पर उत्पन्न होता है कि क्या एनजीटी के पास स्वत: संज्ञान क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की शक्ति है। 1 1 बेकेट, एस. (1954)। गोडोट की प्रतीक्षा: 2 अधिनियमों में त्रासदी।

बृहन्मुंबई का नगरपालिका निगम v. अंकीता सिन्हा और ओआरएस। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

6. श्री मुकल रोहतगी, श्री दुष्यंत दवे, श्री जयदीप गुप्ता,

श्री ध्रुव मेहता, श्री आत्माराम नाडकर्णी, श्री कृष्णन वेणुगोपाल,

श्री वी. गिरि, श्री साजन पूवय्या और श्री सिद्धार्थ दवे, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री ई. एम. एस. अनम, सुश्री अमृता शर्मा, श्री एस. थानंजयन ने एक समान रुख अपनाया है। उन्होंने तर्क दिया है कि एनजीटी एक न्यायाधिकरण और कानून का एक प्राणी है और इस तरह, यह अपने स्वयं के प्रस्ताव पर कार्य नहीं कर सकता है या अपने कार्य के निर्वहन में न्यायिक समीक्षा या स्वतः संज्ञान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। कानून का एक हिस्सा होने के नाते, मंच अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत अंतर्निहित शक्तियों को ग्रहण नहीं कर सकता है और इसका क्षेत्र इस तरह से लगाई गई सीमाओं से घिरा हुआ है। विद्वान वकील का यह भी तर्क है कि एन. जी. टी. की विवादों को तय करने के लिए एक न्यायिक भूमिका है जिसका मतलब अनिवार्य रूप से दो या दो से अधिक प्रतिद्वंद्वी दलों की भागीदारी है। इसलिए, एन. जी. टी. स्वतः संज्ञान लेते हुए खुद को ऐसे किसी पक्ष के स्थान पर नहीं रख सकता है। न्यायपालिका की सामान्य शक्ति का अभाव

एन. जी. टी. से स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति को दूर रखने के लिए एन. जी. टी. (जो उच्च न्यायालयों के पास उपलब्ध है) के साथ समीक्षा पर प्रकाश डाला गया है। विभिन्न प्रकार के

न्यायाधिकरण की शक्ति और भूमिका से संबंधित निर्णय वकील द्वारा उद्धृत किए जाते हैं और उन पर इस आदेश के बाद के भाग में चर्चा की जाएगी।

7. एस. एल. पी. (सी) संख्या 6732/2021 में पीड़ित पक्ष की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री निधेश गुप्ता, सी. ए. No.86/2019 में मध्यस्थ के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री संजय पारिख और विद्वान वरिष्ठ श्री गोपाल शंकरनारायणन ने इसके विपरीत विचार व्यक्त किया।

एसएलपी (सी) संख्या 6732/2021 में कार्यान्वयनकर्ता आई. ए. No.71482/2021 की ओर से पेश वकील, एनजीटी के लिए परिकल्पित विशेष भूमिका और इसके निगमन के इतिहास का उल्लेख करते हुए, एनजीटी द्वारा स्वतः संज्ञान क्षेत्राधिकार के प्रयोग के समर्थन में समान रूप से शक्तिशाली प्रस्तुति देते हैं।

8. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आनंद ग्रोवर को नियुक्त किया गया था।

न्यायालय की सहायता के लिए न्यायमित्र के रूप में और उनकी विस्तृत सुनवाई की गई। वकील अधिनियम के तहत एनजीटी की भूमिका और स्थिति और पर्यावरण मामलों पर इसके व्यापक अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करता है, लेकिन श्री ग्रोवर का मानना है कि एनजीटी अपने दम पर कार्रवाई शुरू करने में असमर्थ है। दूसरे शब्दों में, एनजीटी बिना किसी के मंच को स्थानांतरित किए स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्य नहीं कर सकता है क्योंकि अन्यथा मंच को अपने स्वयं के कारण का न्याय करने वाला माना जाएगा। चूंकि एनजीटी के तहत स्वतः संज्ञान शक्ति प्रदान नहीं की जाती है अधिनियम, विशेष न्यायाधिकरण को एक बाहरी पक्ष द्वारा स्थानांतरित किया जाना है। लेकिन आवेदन का प्रारूप महत्वपूर्ण नहीं है और यहां तक कि एक इच्छुक पक्ष द्वारा संबोधित एक पत्र भी एनजीटी को कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करेगा, जो श्री ग्रोवर की रियायती प्रस्तुति है।

9. केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि एनजीटी द्वारा सुओ मोटू शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका उपयोग नहीं किया गया है

"नेट अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। वकील एनजीटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करता है और प्रस्तुत करता है कि लोकस स्टैंडी की अवधारणा का विस्तार किया गया था धारा 18 (2) (ई) के तहत एनजीटी के हस्तक्षेप के लिए लेकिन उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत न्यायाधिकरण के पास अपने दम पर कार्रवाई करने की स्वतः संज्ञान शक्ति नहीं है। विद्वान ए. एस. जी, हालांकि, प्रस्तुत करता है कि एक पत्र प्राप्त होने पर भी, एन. जी. टी. पर कार्रवाई शुरू कर सकता है।

पर्यावरणीय मामले। इस प्रकार, एन. जी. टी. द्वारा पत्रात्मक अधिकारिता के प्रयोग पर, ए. एस. जी. न्यायमित्र के समान पृष्ठ पर है, लेकिन जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि दोनों वकील एन. जी. टी. से स्वतः संज्ञान शक्ति को दूर रखने के लिए तर्क देते हैं।

10.1 संबंधित वकील द्वारा ली गई स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करने के बाद, अब हम एनजीटी से स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति को दूर रखने के लिए चुनौती के विशिष्ट आधारों का उल्लेख कर सकते हैं। संबंधित वकील का कहना है कि एन. जी. टी. क़ानून का एक हिस्सा है और इस तरह के अन्य वैधानिक कानूनों की तरह ही है।

न्यायाधिकरण, एनजीटी भी वैधानिक सीमाओं के भीतर बाध्य है। उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बनाम धर्मेन्द्र भोही पर भरोसा किया है, जिसमें बैंकों और वित्तीय ऋणों की वसूली के प्रावधान हैं।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण की सीमाओं को नोट करने के लिए संस्थान अधिनियम, 1993 का विश्लेषण किया गया था। डिवीजन बेंच के लिए न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के विश्लेषण से (जो उस समय उनके अधिपति थे) यह अनुमान लगाया जा सकता है कि न्यायाधिकरण को क़ानून के तहत ऐसे अन्य आदेश पारित करने और अपने आदेशों को प्रभावी बनाने या अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए ऐसे निर्देश देने की शक्ति दी गई थी, लेकिन अपने कार्यों के निर्वहन में न्यायाधिकरण को खुद को वैधानिक मापदंडों के भीतर सीमित रखने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, धारा 19 (25) ने सीमित शक्तियां प्रदान कीं और इस प्रकार निवेदन यह है कि न्यायाधिकरण के पास कोई अंतर्निहित शक्तियां नहीं हैं।

10.2 इसी तरह, जस्टिस एस. एच. कपाड़िया (जैसा कि उनका लॉर्डशिप तब था) ट्रांसकोर बनाम में। भारत संघ 3, एक खंड पीठ की ओर से राय दी

कि,

" 67. ..... डी. आर. टी. एक न्यायाधिकरण है, यह क़ानून का सृजन है, यह उसके पास कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है जो दीवानी अदालतों में मौजूद है।

2 (2013) 15 एस. सी. सी. 341

3 (2008) 1 एस. सी. सी. 125 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेट मुंबई v. अंकीता सिन्हा और ओआरएस। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

10.3 वकील ने यह भी अनुमान लगाया कि उपभोक्ता मंचों के संदर्भ में, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी (उस समय उनके स्वामी के रूप में) राजीव हितेंद्र पाठक बनाम अच्युत मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोल रहे थे। काशीनाथ 1, निम्नलिखित रूप में देखा गया:

" 34. अधिनियम के प्रावधानों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर, यह बहुत स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण क़ानून के निर्माता हैं और क़ानून के स्पष्ट प्रावधानों से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। जिला मंचों और राज्य आयोगों को एकतरफा आदेशों और समीक्षा की शक्ति और उन शक्तियों को दरकिनार करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है जो स्पष्ट रूप से उनके द्वारा नहीं दी गई हैं।

कानून का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

11.1 विवाद का दूसरा अंग यह है कि यह अधिनियम 'विवादों' पर लागू होता है, जो अनिवार्य रूप से दो पक्षों के बीच विवाद को संदर्भित करता है। द.

वकील ने टेची तागी तारा बनाम राजेंद्र सिंह भंडारी और Ors.5 पर भरोसा किया है, जिसमें 'सारगर्भित प्रश्न' शब्द से संबंधित है।

'पर्यावरण' की व्याख्या एक क्षीण तरीके से विवाद के हिस्से के रूप में उत्पन्न होने वाले प्रश्न के रूप में की गई थी। इसलिए निवेदन यह है कि एक विवाद के लिए एक दावेदार या एक आवेदक की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके अलावा, यह विवाद एनजीटी द्वारा निपटाने में भी सक्षम होना चाहिए। उद्धृत मामले में प्रस्ताव को निम्नलिखित तरीके से व्यक्त किया गया है,

" 19. इन सभी प्रावधानों के संयुक्त अध्ययन पर, यह स्पष्ट है कि

हम से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न होना चाहिए कि
पर्यावरण और वह प्रश्न एक विवाद में उत्पन्न होना चाहिए-यह एक अकादमिक प्रश्न नहीं होना चाहिए। उस विवाद को उठाने वाला एक दावेदार भी होना चाहिए जो एनजीटी द्वारा निपटाने में सक्षम है।

कुछ राहत का अनुदान जो प्रकृति में हो सकता है

क्षतिग्रस्त संपत्ति का मुआवजा या पुनर्स्थापना या पर्यावरण की पुनर्स्थापना और कोई अन्य आकस्मिक या सहायक राहत

इसके साथ जुड़ा हुआ है।

20. ..... प्रभाकर बनाम। विभाग. रेशम उत्पादन का [प्रभाकर बनाम। विभाग. रेशम उत्पादन, (2015) 15 एस. सी. सी. 1: (2016) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 149] "विवाद" की निम्नलिखित परिभाषा को अनुच्छेद 34 और 35 में नोट किया गया था। रिपोर्ट: (एस. सी. सी पी. 21)

" 34. "विवाद" शब्द के अर्थ को समझने के लिए व्याकरण या शब्दकोश के अर्थ से शुरुआत करना उचित होगा।

इस शब्द के बारे में:

4 (2011) 9 एस. सी. सी. 541

5 (2018) 11 एससीसी 734 [2021] 10 एस. सी. आर.

6 " विवाद "। के बारे में बहस करना, के लिए संघर्ष करना, तर्क द्वारा विरोध करना, प्रश्न पूछना-बहस या बहस करना (के साथ, के बारे में या के बारे में) ओवर)-शब्दों के साथ एक प्रतियोगिता; एक तर्क; एक बहस; एक झगड़ा; '

35. ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 5 वां संस्करण।, पी। 424 "विवाद" को परिभाषित करता है

निम्नानुसार:

' विवाद करते हैं। एक संघर्ष या विवाद; दावों या अधिकारों का टकराव; एक तरफ अधिकार, दावा या मांग का दावा, दूसरी तरफ विपरीत दावों या आरोपों से मिलता है। मुकदमेबाजी का विषय; वह मामला जिसके लिए मुकदमा दायर किया जाता है और किस मुद्दे पर किया जाता है

शामिल हुए, और जिसके संबंध में जूरी सदस्यों और गवाहों को बुलाया जाता है

जाँच की गई "।

11.2 न्यायमित्र ने भी इस मुद्दे को संबोधित किया है, एक विवाद को एक दावे और इनकार की आवश्यकता के रूप में परिभाषित किया है। इस तर्क से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एनजीटी अधिनियम की धारा 14 का कार्य केवल विवादों पर निर्णय लेने के लिए उपलब्ध है, जैसा कि एक प्रतिकूल प्रणाली में है, लेकिन किसी अन्य सुधारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक या निवारक कार्यों के लिए नहीं है।

12.1 तीसरा, न्यायिक समीक्षा की सामान्य शक्ति की कमी को स्वत: संज्ञान शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए विधायी इरादे को दिखाने के लिए तर्क दिया गया है। वकील ने कहा है कि एन. जी. टी., के तहत निर्धारित प्राधिकरण के साथ एक न्यायाधिकरण के रूप में एक क़ानून के पास न्यायिक समीक्षा की कोई सामान्य शक्ति नहीं है। इस प्रकार, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत रिट अदालतों की श्रेणी में नहीं है। विश्वसनीय निर्णय में तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (1) लिमिटेड, 6 न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने इस न्यायालय की एक खंड पीठ के लिए एनजीटी के बारे में बोलते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की है:

" 41 ..... यह कहने के लिए पर्याप्त है कि एनजीटी संविधान के अनुच्छेद 323-ए या अनुच्छेद 323-बी के तहत स्थापित न्यायाधिकरण नहीं है, बल्कि एनजीटी अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक न्यायाधिकरण है। कि ऐसा न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करता है

एन. जी. टी. की धारा 29 के अध्ययन से न्यायालय स्पष्ट है

एक्ट करें।

43. ..... वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि एनजीटी अधिनियम की धारा 16 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14 (बी) के समान है, जिसमें अपील धारा 16 में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों के तहत किए गए आदेशों, निर्णयों, निर्देशों या निर्धारणों के खिलाफ हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि एनजीटी अधिनियम के तहत, न्यायाधिकरण अपीलीय कार्य करता है

6 (2019) 19 एस. सी. सी. 479 यू. एन. आई. सी. पी. ए. एल. कार्पोरेशन ऑफ ग्रेट मुंबई v. अंकीता सिन्हा और ओआरएस। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

क्षेत्राधिकार इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों या विनियमों को निरस्त नहीं कर सकता है। इसलिए, यह कहना गलत होगा कि न्यायाधिकरण के पास उच्च न्यायालय के समान न्यायिक समीक्षा की शक्तियां हैं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करना। हमें एक उच्च न्यायालय और सीमित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों के बीच के अंतर को कभी नहीं भूलना चाहिए कि गजेंद्रगढ़कर, सी. जे. की सम्मानसूचक भाषा में, राज्य विधानमंडलों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति में, निम्नलिखित शब्दों में बनाया गया था: (एस. सी. आर पी. 499: एयर पी। 789, पैरा 138)

सीमित अधिकारिता वाला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अपने लिए अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में प्रश्नों को निर्धारित करने का हकदार है। ' हैल्सबरी का कहना है कि 'प्रथम दृष्टया' कोई भी मामला उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं माना जाता है जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं दिखाया जाता है, जबकि कुछ भी निम्न अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है जब तक कि कार्यवाही के सामने यह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जाता है कि विशेष मामला विशेष अदालत के संज्ञान में है [हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानून, खंड। 9 , पी। 349] 3.

इसी कारण से, हमारा विचार है कि जल अधिनियम की धारा 18 के तहत राज्य सरकार का आदेश, एनजीटी अधिनियम की धारा 16 के तहत किसी भी अपील का विषय नहीं है।

एनजीटी द्वारा "न्यायिक रूप से समीक्षा" नहीं की जा सकती है। बी. एस. एन. एल. में निर्णय के बाद [बी. एस. एन. एल. बनाम। टी. आर. ए. आई., (2014) 3 एस. सी. सी. 222], हमारा विचार है कि एन. जी. टी. के पास न्यायिक समीक्षा की कोई सामान्य शक्ति नहीं है जो इस देश के उच्च न्यायालयों के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निहित है। विल्फ्रेड जे. वी. में एन. जी. टी. के दिनांकित 17-7-2014 निर्णय पर श्री सुंदरम की दृढ़ निर्भरता। पर्यावरण और वन मंत्रालय [विल्फ्रेड जे. वी. पर्यावरण और वन मंत्रालय, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. जी. टी. 6860] को भी खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि एन. जी. टी. के इस फैसले में इस पहलू पर कानून का उल्लेख नहीं है।

सही है। यह तर्क भी बिना योग्यता के है, और इसलिए, खारिज कर दिया गया है। "[2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12.2 तर्क यह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा में उद्यम कर सकते हैं। लेकिन ऐसी शक्ति

एन. जी. टी. को स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाना फोरम की शक्तियों की सीमित प्रकृति का सुझाव देगा, जो किसी भी स्वतः संज्ञान अभ्यास को बाहर कर देगा।

I. राष्ट्रीय हरे रंग की पृष्ठभूमि

ट्राइब्यूनल

13.1 के अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा को समझने के लिए

एनजीटी, हमने कानून के इतिहास और एनजीटी अधिनियम की प्रस्तावना और उद्देश्यों और कारणों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक समझा है। संसदीय आशय जिसने एन. जी. टी. के निर्माण को आकार दिया और व्यापक मुद्दे जिन्हें वे इसके माध्यम से संबोधित करना चाहते थे।

विशेष संस्थान को अब सामने लाया जाना चाहिए।

13.2 एन. जी. टी. अधिनियम का अग्रदूत भारत के विधि आयोग की 186 वीं रिपोर्ट थी जिसमें विधि आयोग ने

पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए एक विशेष न्यायालय के निर्माण के लिए मामले का समर्थन करते हुए निम्नलिखित प्रासंगिक अवलोकन किया था:

" यह सच है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इन और अन्य जटिल पर्यावरणीय मुद्दों को उठाते रहे हैं और

उन्हें तय करें। लेकिन, हालांकि वे न्यायिक निकाय हैं, उनके पास स्थायी आधार पर उनकी मदद करने और सलाह देने के लिए पर्यावरण वैज्ञानिकों का एक स्वतंत्र वैधानिक पैनल नहीं है। वे प्रवण हैं

वेड्सबरी सिद्धांत जैसे सिद्धांतों को लागू करें और गुणों में जाने से इनकार करें। वे मौके पर निरीक्षण भी नहीं करते हैं या तथ्यों को देखने के लिए मौखिक साक्षय प्राप्त नहीं करते हैं क्योंकि वे जमीन पर मौजूद हैं। दूसरी ओर, यदि प्रत्येक राज्य में पर्यावरण न्यायालय स्थापित किए जाते हैं, तो ये न्यायालय मौके पर निरीक्षण कर सकते हैं और मौखिक साक्षय प्राप्त कर सकते हैं। वे वैज्ञानिक विषयों पर स्वतंत्र सलाह प्राप्त कर सकते हैं।
वैज्ञानिकों के एक पैनल द्वारा मामले।

इन पर्यावरण न्यायालयों को अनन्य अधिकार क्षेत्र के न्यायालय होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उच्च न्यायालयों, भले ही वे कला के तहत संपर्क किया जाता है। 226 या तो व्यक्तिगत मामलों में या पी. आई. एल. मामलों में, जहां पर्यावरण अधिकारियों के आदेश हो सकते हैं

प्रश्न किए जाने पर, इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर सकता है कि विशेषज्ञ पर्यावरण न्यायालय के समक्ष एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय है। अब तक, जब हमारे पास जिला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेट मुंबई v. में उपभोक्ता न्यायालय हैं।

अंकीता सिन्हा और ओआरएस। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

और राज्य स्तर पर, उच्च न्यायालयों ने अनुच्छेद के तहत रिट याचिकाओं पर विचार करने से लगातार इनकार कर दिया है। 226 क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित मंचों के समक्ष पक्षों के पास एक उपाय है। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ अन्य देशों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों का उदाहरण भी है और इन्हें न्यायाधीशों और विशेषज्ञ आयुक्तों द्वारा संचालित किया जाता है। ब्रिटेन में शाही आयोग का यह भी विचार है कि

यदि पर्यावरण न्यायालय स्थापित किए जाते हैं, तो उच्च न्यायालय इस पर विचार करने से इनकार कर सकते हैं

न्यायिक समीक्षा के लिए इस आधार पर आवेदन कि

इन न्यायालयों के समक्ष प्रभावी वैकल्पिक उपाय।

उपरोक्त कारणों से हम प्रत्येक राज्य में अलग-अलग पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव कर रहे हैं। अध्याय IX में हम इन न्यायालयों के गठन, शक्ति और अधिकार क्षेत्र का विवरण देने का प्रस्ताव करते हैं।

13.3 उपरोक्त सुझाव यह होगा कि विधि आयोग की राय थी कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के लिए स्थानीय पूछताछ करना या साक्षय प्राप्त करना सुविधाजनक नहीं है। इसके अलावा, उच्च न्यायालयों के पास विशेषज्ञ पर्यावरण वैज्ञानिकों तक पहुंच नहीं होगी।

उनकी सहायता के लिए स्थायी आधार। इसलिए, एन. जी. टी. की कल्पना सभी पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए एक पूरक विशेष मंच के रूप में की गई थी।

अनुशासनात्मक मुद्दे मूल और अपीलीय प्राधिकरण दोनों के रूप में, जिन जटिल मुद्दों को अब तक उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाता था।

13.4 इसलिए, एन. जी. टी. का उद्देश्य पर्यावरण के मुद्दों से निपटने के लिए प्रचार करने के बजाय एक सक्षम मंच बनना था

न्यायालयों की रिट अधिकारिता के तहत। यह स्पष्ट रूप से नोट किया गया था कि एन. जी. टी. के निर्माण से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के तहत हस्तक्षेप करने से बचने की अनुमति मिलेगी जब एक वैकल्पिक प्रभावी उपाय विशेष मंच के समक्ष उपलब्ध हो जाएगा। 186 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में निम्नलिखित तर्क दिए गए थे:

" इसी तरह, हमने पर्यावरण न्यायालयों को कला के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली न्यायिक समीक्षा शक्तियों के लिए सक्षम बनाना उचित नहीं समझा है। 226 भारत का संविधान। हमने महसूस किया है कि यह पर्यावरण न्यायालयों में मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र को निहित करने के लिए पर्याप्त है जैसा कि एक दीवानी न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्तियां निहित करते हैं। 226 , तब आदेशों को उच्च न्यायालयों के रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन करने की आवश्यकता हो सकती है जैसा कि एल. चंद्र में अभिनिर्धारित किया गया है।

कुमार बनाम भारत संघ, 1997 (3) एस. सी. सी. 261।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निस्संदेह, सिविल न्यायालय या सिविल अधिकारिता में अपीलीय न्यायालय के रूप में शक्तियों का प्रयोग करने वाला पर्यावरण न्यायालय तकनीकी रूप से उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार -

हम उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों को एक अपील प्रदान कर रहे हैं
इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर सकता है कि उच्चतम न्यायालय में कानून और तथ्य पर अपील करने का एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय है, जैसा कि इस अध्याय में बाद में समझाया गया है।

इस प्रकार, न्यायाधिकरण के आदेशों में उच्च न्यायालयों के हस्तक्षेप से बचने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति को हटा दिया गया था। जिस तरह से उच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाती है, इससे पहले कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाए जहां एनजीटी के आदेशों को चुनौती दी जा सकती है। तंत्र को सुव्यवस्थित करना उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी के बढ़ते ज्वार को रोकना और ऐसे मुद्दों को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित करना था।

13.5 इस तरह प्रस्तावित मंच को साक्षय के नियमों से मुक्त कर दिया गया और एनजीटी को अपनी बात रखने की अनुमति दी गई

मौखिक और दस्तावेजी साक्षय प्राप्त करने, विशेषज्ञों से परामर्श करने आदि की प्रक्रिया। हालाँकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य था।

II. उद्देश्यों की प्रस्तावना और कथन और

कारण

14.1 एनजीटी अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर अब ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुच्छेद 2,3,4,5 और 6 को प्रासंगिक होने के कारण नीचे निकाला गया है: -

" 2. भारत जून, 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का एक पक्ष है, जिसमें भारत ने भाग लिया और राज्यों से मानव

पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान किया। पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जून, 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित विकास और विकास, जिसमें भारत ने भाग लिया, ने राज्यों से निवारण और उपचार सहित न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही तक प्रभावी पहुंच प्रदान करने और प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों के लिए दायित्व और मुआवजे के संबंध में राष्ट्रीय कानूनों को विकसित करने का भी आह्वान किया है।

3. स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को न्यायपालिका में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में माना गया है।

भारत में घोषणा।

7 अध्याय II, 186 वीं विधि आयोग रिपोर्ट।

महान मुंबई का एकीकृत निगम v. अंकीता सिन्हा और ओआरएस। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

4. राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 को किसी भी खतरनाक पदार्थ को संभालते समय होने वाली किसी भी दुर्घटना से होने वाले नुकसान के लिए सख्त दायित्व प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। व्यक्तियों, संपत्ति और पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देने की दृष्टि से ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना। हालांकि, राष्ट्रीय पर्यावरण

न्यायाधिकरण, जिसके पास बहुत सीमित जनादेश था, की स्थापना नहीं की गई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997

राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना के लिए अधिनियमित

उन क्षेत्रों के प्रतिबंध के संबंध में अपीलों को सुनने के लिए जिनमें कोई उद्योग, प्रचालन या प्रक्रियाएँ या उद्योगों का वर्ग, प्रचालन या प्रक्रियाएँ विषय के आधार पर नहीं की जाएंगी या की जाएंगी।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कुछ सुरक्षा उपायों के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की एक सीमा है

इसके अधिकार क्षेत्र के संकीर्ण दायरे के कारण कार्यभार।

5. पर्यावरण की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए

उच्च न्यायालयों में लंबित मामले और उनकी भागीदारी ऐसे मामलों में बहु-विषयक मुद्दे, सर्वोच्च न्यायालय

भारत के विधि आयोग से विशेष पर्यावरण न्यायालयों के गठन की आवश्यकता पर विचार करने का अनुरोध किया। उसी के अनुसार, विधि आयोग ने पर्यावरण कानूनों से संबंधित मूल और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार वाले पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की है।
6. पूर्वगामी अनुच्छेदों को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण संबंधी मामलों में शामिल बहु-विषयक मुद्दों को संभालने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। तदनुसार, पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित दीवानी मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए एक कानून बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करना शामिल है।

14.2 वस्तुओं और कारणों के विवरण को पढ़ने से पता चलता है कि इसका आरेग्राफ 4 राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण 1995 (एन. ई. टी.) को संदर्भित करता है जो खतरनाक पदार्थों को संभालते समय होने वाले सख्त दायित्व और दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले नुकसान के लिए प्रदान करता है। इस संदर्भ में यह देखा गया कि एन. ई. टी. का अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित और संकीर्ण था। इसके बाद, पैरा 5 में यह दर्ज किया गया है कि उच्च न्यायालयों [2021] 10 एस. सी. आर. में पर्यावरणीय मामलों की संख्या लंबित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसमें बहु-अनुशासनात्मक मुद्दे शामिल हैं और ऐसे मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के विधि आयोग से विशेष पर्यावरण न्यायालयों के गठन की आवश्यकता पर विचार करने का अनुरोध किया था।

14.3 महत्वपूर्ण रूप से, उद्देश्यों और कारणों का विवरण एक स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को भी संदर्भित करता है जो जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21। यह पहले उल्लिखित 186 वें विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप था जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि

इस प्रकार बनाए गए निकाय का उद्देश्य "एक निष्पक्ष, तेज और संतोषजनक न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21,47,48 ए, 51 ए (जी) के उद्देश्यों को प्राप्त करना" होगा। एक संस्था जो एक जीवन के अधिकार के महत्वपूर्ण पहलू को अनिवार्य रूप से सबसे उदार निर्माण दिया जाना चाहिए।

लोगों को मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए सामान्य प्रयास करने के लिए जब इसमें लोग और उनकी भावी पीढ़ी शामिल हों। इसलिए, न केवल पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए बल्कि इसकी रक्षा के लिए भी इस तरह के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ अधिनियमित नगरपालिका कानून को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने सुरक्षात्मक, निवारक और उपचारात्मक कार्य के निर्वहन के लिए साधन प्रदान किया जाना चाहिए। इसलिए एन. जी. टी. के अधिदेश और अधिकार क्षेत्र को व्यापक आयाम का माना जाता है और यह एक सुई जेनरिस फोरम की प्रकृति में है। 14.5 पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जून, 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था, जहाँ भारत

भाग लिया, राज्यों को न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही तक प्रभावी पहुंच प्रदान करने, निवारण और उपचार निर्धारित करने और प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों के लिए दायित्व और मुआवजे के संबंध में राष्ट्रीय कानूनों को विकसित करने के लिए प्रभावित किया। अधिनियम की प्रस्तावना में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को समझने पर जोर दिया गया था, जिसे भारत में विभिन्न न्यायिक घोषणाओं द्वारा स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का जन्म हमारे देश में पर्यावरण से संबंधित बहु-अनुशासनात्मक मुद्दों से निपटने के लिए ऐसे बुलंद सपनों के साथ हुआ था।

14.6 पहले के मंच यानी एन. ई. टी. को दिया गया सीमित जनादेश और राष्ट्रीय पर्यावरण के अधिकार क्षेत्र का संकीर्ण दायरा बहु-अनुशासनात्मक मुद्दों की भागीदारी के साथ अपीलीय प्राधिकरण महान मुंबई का नगरपालिका निगम v.

अंकीता सिन्हा और ओआरएस। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

पर्यावरणीय मामलों में उत्पन्न होने वाले मामलों को एन. जी. टी. के संविधान के माध्यम से संबोधित करने का इरादा था।

III.THE उद्देश्यपूर्ण हस्तक्षेप की आवश्यकता

15.1 जबकि धारा 14 और एन. जी. टी. अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत प्रयुक्त वाक्यांशों में पर्याप्त स्पष्टता स्पष्ट है,

निर्णय के बाद के भागों में चर्चा की जाएगी, क़ानून के पीछे के इरादे पर हमें सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए। एन. जी. टी. के निर्माण के लिए विधायी इतिहास का पता लगाते हुए यह देखा गया है कि एन. जी. टी. का उद्देश्य व्यापक सामाजिक चिंताओं को दूर करना है और इसने हमें उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया है। मूर्ति को उसमें पढ़ना होगा।

अधिनियम के संपूर्ण और प्रत्येक प्रावधान को उस शरारत को समझकर उसका उचित अर्थ दिया जाना चाहिए जिसका वह निवारण करना चाहता है। चुने गए व्याख्यात्मक अभ्यास को क़ानूनों की व्याख्या ग्रंथ से सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है।

न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा लिखित जिन्होंने इस प्रकार समझाया,

" जब कानून में कुछ प्रावधानों के अर्थ के बारे में सवाल उठता है, तो उस प्रावधान को उसके संदर्भ में पढ़ना न केवल वैध है, बल्कि उचित भी है। यहाँ संदर्भ का अर्थ है, समग्र रूप से क़ानून, कानून की पिछली स्थिति, समान सामग्री में अन्य क़ानून, क़ानून का सामान्य दायरा, और वह शरारत जो इसका उद्देश्य था
उपचार। नियम के इस कथन को बाद में पूरी तरह से अपनाया गया था

सुप्रीम कोर्ट।

यह एक ऐसा नियम है जो अब दृढ़ता से स्थापित हो गया है कि विधानमंडल के इरादे को समग्र रूप से क़ानून को पढ़कर पाया जाना चाहिए। इस नियम को विस्काउंट साइमंड्स द्वारा 'प्राथमिक नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है: हेरो के लॉर्ड सोमरवेल द्वारा एक सम्मोहक शासन; और बी. के. मुखर्जी जे. द्वारा एक "व्यवस्थित शासन"। "मैं सहमत हूँ", लॉर्ड हैल्सबरी ने कहा, "यदि संभव हो तो प्रभाव देने के लिए आपको पूरे मामले को देखना होगा।

ऐसा करने के लिए, इसके निर्माता के इरादे के अनुसार "।

15.2 एन. जी. टी. अधिनियम ने जिस शरारत को दूर करने का प्रयास किया, वह विधायी इतिहास में रेखांकित किया गया था, और संवैधानिक न्यायालय अपनी पर्यावरणीय चिंताओं को रेखांकित कर रहे हैं।

15.3 हेडन के नियम को लागू करने से हमें यहां पर्याप्त सहायता मिल सकती है क्योंकि नियम उस निर्माण को अपनाने का निर्देश देता है जो "

जैसा कि न्यायमूर्ति एस. आर. दास ने बंगाल इम्युनिटी कंपनी बनाम बंगाल इम्युनिटी कंपनी बनाम बंगाल इम्युनिटी कंपनी बनाम बंगाल इम्युनिटी कंपनी बनाम बंगाल इम्युनिटी कंपनी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" ..... सभी न्यायाधीशों का कार्यालय ऐसा निर्माण करना है जिससे शरारत को दबाया जा सके और उपचार को आगे बढ़ाया जा सके, और शरारत को जारी रखने के लिए सूक्ष्म आविष्कारों और टालमटोल को दबाया जा सके और अधिनियम के निर्माताओं के सच्चे इरादे के अनुसार इलाज और उपचार में बल और जीवन जोड़ा जा सके।

प्रो बोनो पब्लिक "।

15.4 फ्रांसिस बेनिओन ने अपनी पुस्तक सांविधिक व्याख्या में

'उद्देश्यपूर्ण व्याख्या' को निम्नानुसार वर्णित किया गया है:

' एक अधिनियम का एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण वह है जो देता है

विधायी उद्देश्य के लिए प्रभाव

(क) अधिनियम के शाब्दिक अर्थ का पालन करते हुए जहां वह अर्थ विधायी उद्देश्य के अनुसार है, या

(बी) एक तनावपूर्ण अर्थ को लागू करना जहां शाब्दिक अर्थ विधायी उद्देश्य के अनुसार नहीं है।

15.5 अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फ्रैंकफर्टर 'कुछ' में

विधियों के पठन पर विचार ने निम्नलिखित तरीके से विधियों के प्रासंगिक अर्थ का पता लगाने के लिए सिद्धांतों को स्पष्ट किया है,

' निर्माण का उद्देश्य अर्थ का पता लगाना है, इसके समाधान के लिए हर विचार लाया जाता है।

समस्या को केवल उसी उद्देश्य के लिए समर्पित किया जाना चाहिए।

जज लर्नड हैंड व्याख्या की कला की बात करते हैं '

उद्देश्य का प्रसार '। 9.

आखिरकार, जस्टिस फ्रैंकफर्टर ने पनामा रिफाइनिंग कंपनी में जस्टिस बेंजामिन कार्डोजो के वाक्यांश पर भरोसा किया। बनाम रयान, और वही हमारी खोज में एक लॉडेस्टार के रूप में लिया जाता है,

" किसी कानून का अर्थ किसी एक खंड में नहीं, बल्कि सभी भागों में एक साथ और अंत के संबंध में देखा जाना है।

15.6 एन. जी. टी. के निर्माण के लिए प्रशंसनीय उद्देश्य

हमसे ऐसी व्याख्यात्मक प्रक्रिया अपनाने का अनुरोध करें जो विधायी उद्देश्य को प्राप्त करेगी और प्रक्रियात्मक बाधाओं को छोड़ देगी।

947 कोलंबिया लॉ रिव्यू 527 10 293 यू. एस. 388 (1935) (असहमति)

बृहन्मुंबई का नगरपालिका निगम v. अंकीता सिन्हा और ओआरएस। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

असमर्थता। इस न्यायालय के उदाहरण एक ऐसे निर्माण का सुझाव देते हैं जो अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करता है। इस न्यायालय के लिए विकल्प उस व्याख्या की ओर झुकना होगा जो विधायी इरादे के फलने-फूलने की अनुमति देगा और दूरदर्शी है। प्रावधानों को उन्हें स्पष्ट करने के इरादे से पढ़ा जाना चाहिए, विशेष रूप से क्योंकि वे अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित हैं और महत्वपूर्ण पर्यावरण नीति और इसके नियामक पहलुओं से भी निपटते हैं।

IV. एन. जी. टी. अधिनियम की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ -

16.1 वैधानिक में व्याख्या के चुने हुए उपकरण को लागू करना

एन. जी. टी. अधिनियम की रूपरेखा, निम्नलिखित प्रावधानों के लिए न्यायालय के ध्यान की आवश्यकता होगी। एनजीटी अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) "पर्यावरण" शब्द को परिभाषित करती है; धारा 2 (1) (एम) "पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न" को परिभाषित करती है। अध्याय III न्यायाधिकरण की अधिकारिता, शक्ति और कार्यवाहियों से संबंधित है। धारा 14 एनजीटी को पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है; धारा 15 राहत से संबंधित है, क्षतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति जिसके द्वारा प्रदूषण के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के अलावा, एनजीटी संपत्ति के नुकसान की बहाली और ऐसे क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए पर्यावरण की बहाली का निर्देश दे सकता है जिसे न्यायाधिकरण उचित समझे। धारा 16 विभिन्न अधिनियमों के तहत पारित आदेशों के खिलाफ न्यायाधिकरण को अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है। धारा 17 में प्रावधान है -

कुछ मामलों में राहत या मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व, धारा 18 निर्दिष्ट करती है कि कौन न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन/अपील कर सकता है। इसमें, अन्य बातों के अलावा, 18 (2) (डी) "किसी भी प्रतिनिधि निकाय/संगठन सहित कोई भी व्यथित व्यक्ति" शामिल है और लोकस स्टैंड केवल इन तक सीमित नहीं है -

पीड़ित पार्टी। धारा 19 न्यायाधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियों का प्रावधान करती है। धारा 19 (1) में महत्वपूर्ण रूप से कहा गया है कि न्यायाधिकरण सी. पी. सी. में निर्धारित प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं होगा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से बाध्य होगा। धारा 19 (2) में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, न्यायाधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्तियां होंगी। धारा 19 (3) में उल्लेख किया गया है कि न्यायाधिकरण बाध्य नहीं होगा

साक्षय अधिनियम, 1872 में निहित साक्षय के नियमों द्वारा। धारा 19 (4) के तहत कार्यों का निर्वहन करते समय, समन भेजने, उपस्थिति को लागू करने, शपथ पर व्यक्तियों की जांच करने, दस्तावेजों की खोज और उत्पादन की आवश्यकता, शपथ पर साक्षय प्राप्त करने के अलावा, एनजीटी के पास अपने निर्णय की समीक्षा करने, अंतरिम आदेश पारित करने के साथ-साथ संघर्ष विराम आदेश पारित करने की भी शक्तियां हैं। धारा 20 में कहा गया है कि मुद्दों पर निर्णय लेते समय न्यायाधिकरण पर्यावरण के सिद्धांतों, अर्थात् सतत विकास को लागू करेगा।

सारा मैथ्यू बनाम। हृदय संवहनी रोग संस्थान (2014) 2 एस. सी. सी. 62, न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बनाम नुस्ली नेविल वाडिया (2008) 3 एस. सी. सी. 279।

सिद्धांत, एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत। धारा 25 के तहत, न्यायाधिकरण अपने आदेश/निर्णय को दीवानी न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादित कर सकता है और उस उद्देश्य के लिए उसके पास दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। धारा 29 सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को न्यायाधिकरण द्वारा कवर किए गए सभी पर्यावरणीय मामलों पर विचार करने से रोकती है। धारा 33 के तहत, एन. जी. टी. अधिनियम का अन्य कानूनों पर प्रबल प्रभाव पड़ता है।

प्रक्रिया) नियम, 2011 (संक्षेप में "एनजीटी नियम")। हमारे उद्देश्य के लिए, नियम 24 महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है:

" 24. आदेश और निर्देश-कुछ मामलों में न्यायाधिकरण ऐसे आदेश दे सकता है या ऐसे निर्देश दे सकता है जो उसके आदेश को प्रभावी बनाने या उसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों।

16.3 उक्त नियम यह स्पष्ट करते हैं कि एन. जी. टी. को न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए व्यापक विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं। यह शक्ति है उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कर्तव्य के साथ। इसका उद्देश्य पर्यावरण और उससे जुड़े मामलों को संरक्षित और संरक्षित करना है।

16.4 व्यापक महत्व के एक वाक्यांश को नियोजित करने का विकल्प चुनकर, यानी न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, विधायिका ने एक उदारवाद की ओर रुख किया है।

व्याख्या। न्याय प्राप्त करना व्यापक आयाम का एक शब्द है और इसका मतलब केवल दो प्रतिद्वंद्वी संस्थाओं के बीच विवादों का निर्णय लेना नहीं है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण अधिकारों के कारणों को आगे बढ़ाना भी शामिल है।

किसी भी राहत को ढालना। प्रावधानों से पता चलता है कि एनजीटी के पास निहित है उचित राहत के लिए व्यापक शक्ति जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित हो सकती है, भले ही इस तरह की राहत के लिए पक्षों द्वारा विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया जा सकता है।

16.6 पर्यावरण मंच की एक अन्य विशिष्ट विशेषता लोकस स्टैंडी के पहलू पर है जिसे उतना ही व्यापक बनाया गया था जितना कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को उपलब्ध है। इस प्रकार, कोई भी व्यक्ति या संगठन

जो इस विषय में रुचि रखते हैं, उन्हें एनजीटी से संपर्क करने की अनुमति है।

बृहन्मुंबई का नगरपालिका निगम v. अंकीता सिन्हा और ओआरएस। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

16.7 एन. जी. टी. अधिनियम और एन. जी. टी. नियमों के प्रावधान

यह प्रदर्शित करें कि एन. जी. टी. द्वारा असंख्य भूमिकाओं का निर्वहन किया जाना है, जैसा कि विधि आयोग की रिपोर्ट, प्रस्तावना और उद्देश्यों और कारणों के विवरण में शामिल किया गया था। यह भी आ रहा है

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पर्यावरण अधिकारों के संरक्षण के लिए स्टॉकहोम और रियो डी जनेरियो सम्मेलनों में लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता।

वी. गैर-एनजीटी की न्यायिक भूमिकाएँ

17.1 जैसा कि देखा जा सकता है, संसद का इरादा एनजीटी को व्यापक अधिकार क्षेत्र प्रदान करने का था ताकि वह कई मुद्दों से निपट सके

पर्यावरण से संबंधित जो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटा जा रहा था। न्यायाधिकरण से भी उम्मीद की जाती है कि ऐसे मामलों को इस समझ के साथ आगे बढ़ाएँ कि पर्यावरण और पर्यावरण सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा हैं। [वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम यू. ओ. आई. 1 1 2; एम. सी. देखें। मेहता बनाम यू. ओ. आई. 1,3 आदि।]

17.2 एन. जी. टी. अधिनियम की अनुसूची I पर्यावरण से संबंधित कुछ अधिनियमों जैसे कि जल अधिनियम, वायु अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम आदि के कार्यान्वयन से संबंधित है। इन अधिनियमों को देखते हुए, एन. जी. टी. की विस्तारित भूमिका स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। एन. जी. टी. की गतिविधियाँ न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए हैं कि विकास से पारिस्थितिकी और पर्यावरण को गंभीर और अपूरणीय क्षति न हो। ये एनजीटी अधिनियम के साथ-साथ इसके निर्माण के लिए एक व्यापक कैनवास का सुझाव देंगे।

17.3 पर्यावरण मंच के लिए, जिसे एन. जी. टी. अधिनियम की अनुसूची I में उल्लिखित कानूनों के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है, एल. आई. एस की अवधारणा,

स्पष्ट रूप से दीवानी मामलों में सामान्य समझ से परे होगा जहां एक पक्ष (चाहे निजी हो या सरकारी) पर्यावरण को परेशान कर रहा है और दूसरा (एक व्यक्ति, एक निकाय या स्वयं सरकार हो सकता है), जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चिंतित है। इसलिए, एनजीटी मुख्य रूप से पर्यावरण की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। विशेष मंच के रूप में, एनजीटी से अपेक्षा की जाएगी कि वह विवादों को निपटाने और निर्णय लेने के अलावा निवारक कार्रवाई करे और पर्यावरण से संबंधित सभी प्रश्नों पर आदेश पारित करे।

12 (1996) 5 एससीसी 647 13 (1997) 2 एससीसी 353 [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17.4 एन. जी. टी. केवल एक न्यायिक निकाय नहीं है, बल्कि इसे रोकथाम, उपचार और सुधार की प्रकृति में व्यापक कार्य करने होते हैं।

इस पहलू को विशेष रूप से 186 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में चिह्नित किया गया था।

" पर्यावरण न्यायालय को, हमारे विचार में, योजनाओं को तैयार करने और उनकी निगरानी करने की शक्ति होनी चाहिए और इसे संशोधित करने की शक्ति भी होनी चाहिए।

समय-समय पर योजनाएं। यदि कोई कई मामलों में उठाई गई समस्याओं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को देखता है, तो यह देखा जाएगा कि इस तरह की शक्ति को निहित करना आवश्यक है

इन न्यायालयों। पर्यावरण न्यायालय को इस तरह की गंभीर समस्याओं का "पर्यावरणीय समाधान" प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

ऊपर उल्लिखित और जब तक कि इसके पास व्यापक रूप देने की शक्ति न हो

ऐसी योजनाएं जिनमें विभिन्न को निर्देश जारी करना शामिल होगा विभागों, समाधान को लागू नहीं किया जा सकता है। इस तरह के एक व्यापक अधिकार क्षेत्र का उपयोग अब दोनों द्वारा किया जा रहा है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। हमारे विचार में, प्रस्तावित न्यायालयों के पास समान शक्तियां होनी चाहिए। उन्हें योजनाओं की निगरानी तब तक करनी होगी जब तक कि

उन्हें जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जाता है।
आवश्यक है, समय-समय पर योजनाओं में संशोधन करें।

18. हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि एन. जी. टी. को अधिकार है

पर्यावरणीय घटनाओं से प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रतिस्थापन अभ्यास करना। इस तरह के कार्यों को सूचित करने वाला बड़ा प्रवचन वितरण और सुधारात्मक न्याय से संबंधित है, जैसा कि बाद के पैराग्राफ में विस्तार से बताया जाएगा। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मानव एजेंसी द्वारा किए गए नुकसान के अभाव में भी न्यायाधिकरण को नुकसान को कम करने के लिए एक योजना तैयार करने की आवश्यकता होगी। न्यायाधिकरण के लिए एक पूछताछ कार्य भी उपलब्ध है, प्रतिकूल के भीतर और बिना

महत्व। महत्वपूर्ण रूप से, इनमें से कई कार्यों के लिए सक्रिय "विवाद" की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि निर्णयों के निर्माण की आवश्यकता होती है।

19.1 एनजीटी के गठन के साथ, कई मामले पहले से ही लंबित हैं

उच्च न्यायालयों को एन. जी. टी. को स्थानांतरित कर दिया गया। उच्च न्यायालयों और एनजीटी (पर्यावरण से संबंधित मामलों और एनजीटी अधिनियम की अनुसूची I में उल्लिखित कानूनों में) के बीच टकराव की संभावना को देखते हुए, न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने भोपाल गैस पीठ महिला उद्योग संगठन बनाम भारत संघ मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बात की।

निम्नलिखित शब्दों में, इस संदर्भ में एनजीटी की भूमिका पर प्रकाश डाला गया: -

" 40. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 (संक्षेप में "एनजीटी अधिनियम") के प्रावधानों और योजनाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से

1 4 14 (2012) 8 एस. सी. सी. 326 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेट मुंबई v. अंकीता सिन्हा और ओआरएस। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

अनुसूची I को स्थापित किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (संक्षेप में "एनजीटी") के समक्ष मुकदमा चलाया जाना चाहिए। के बीच आदेशों के टकराव की संभावना से बचने के लिए इस तरह का दृष्टिकोण आवश्यक हो सकता है
उच्च न्यायालय और एनजीटी। इस प्रकार, स्पष्ट शब्दों में, हम निर्देश देते हैं कि एन. जी. टी.

अधिनियम के लागू होने के बाद स्थापित किए गए सभी मामले और जो एन. जी. टी. अधिनियम और/या एन. जी. टी. अधिनियम की अनुसूची I के प्रावधानों के तहत आते हैं, उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा और केवल एन. जी. टी. के समक्ष स्थापित किया जा सकता है। इससे पर्यावरण के क्षेत्र में त्वरित और विशेष न्याय प्रदान करने में मदद मिलेगी।

सभी चिंतित हैं।

41. हम इस बारे में सावधानी रखना अनिवार्य समझते हैं कि

सक्षम अधिकारिता वाली अदालतों का यह विचार कि एन. जी. टी. अधिनियम के लागू होने से पहले दायर और लंबित मामले, जिनमें पर्यावरण कानूनों के प्रश्न शामिल हैं और/या एन. जी. टी. अधिनियम की अनुसूची I में निर्दिष्ट सात कानूनों में से किसी से संबंधित हैं, पर भी विशेष न्यायाधिकरण, यानी एन. जी. टी., द्वारा विचार किया जाना चाहिए, जिसे एन. जी. टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाया गया है। अदालतें हो सकती हैं

ऐसे मामलों को एन. जी. टी. को सीधे स्थानांतरित करने की अच्छी सलाह दी जाती है।

विवेकाधिकार, क्योंकि यह न्याय के प्रशासन की योग्यता में होगा।

19.2 उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने एन. जी. टी. अधिनियम की अनुसूची I में उल्लिखित कानूनों से संबंधित सभी मामलों को एन. जी. टी. अधिनियम को हस्तांतरित करने का आदेश दिया।

विशेष मंच अन्यथा उच्च न्यायालयों के साथ टकराव हो सकता है। विशेष रूप से, उनमें से कुछ मामले मूल रूप से अदालतों द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज किए गए थे।

एन. जी. टी. द्वारा एस. यू. ओ. टी. यू. शक्ति का VI अभ्यास
20. आइए अब पता करें कि क्या एनजीटी अपने कार्य का निर्वहन कर रहा है।

कार्यों में सुओ मोटो शक्ति भी होनी चाहिए। विशेष न्यायाधिकरण की स्वतः संज्ञान शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों से कुछ अलग है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने संवैधानिक आदेश के तहत किसी भी मुद्दे पर हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन एनजीटी स्वाभाविक रूप से अपने पर्यावरणीय क्षेत्र से परे नहीं जा सकता है।

अनुसूचित अधिनियम। हालाँकि, जब तक कार्रवाई के क्षेत्र का उल्लंघन नहीं होता है, तब तक एनजीटी की शक्तियों को व्यापक आयाम का समझा जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21.1 पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए विशेष अदालत के गठन के उद्देश्य की व्याख्या करते हुए, मंत्री टेकज़ोन (पी) लिमिटेड बनाम. फॉरवर्ड फाउंडेशन ", न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए, एनजीटी की स्थिति पर निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां कीं:

" 40. न्यायाधिकरण की स्थापना एक संवैधानिक प्रावधान के तहत की गई है

अनुसूची VII सूची I प्रविष्टि 13 में प्रदत्त अधिदेश
संयुक्त राष्ट्र में लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए भारत का संविधान

पर्यावरण और विकास पर राष्ट्र सम्मेलन। द.

न्यायाधिकरण पर्यावरण संरक्षण और उससे संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए एक विशेष न्यायिक निकाय है।

पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में माना गया है। इसलिए, पर्यावरण अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायाधिकरण के पास विशेष अधिकार क्षेत्र है।

21.2 जैसा कि उद्धृत अंश से देखा जा सकता है, इस न्यायालय ने माना कि एन. जी. टी. की स्थापना संविधान की 13 वीं प्रविष्टि में संवैधानिक अधिदेश के तहत की गई है।

अनुच्छेद 21 को लागू करने के लिए अनुसूची VII में सूची I

पर्यावरण और संदर्भ में कहा गया है कि न्यायाधिकरण के पास पर्यावरण अधिकारों को लागू करने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र है।

21.3 पैराग्राफ 44-46 में आगे विस्तार से बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया कि व्याख्या जो अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के पक्ष में है

अधिकार क्षेत्र को छीनने के बजाय इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह विशेष रूप से नोट किया गया था कि,

" 46. ..... जैसा कि ऊपर कहा गया है कि न्यायाधिकरण की विशिष्ट प्रकृति, अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के तहत प्रदान की गई शक्तियों की व्यापकता

साथ ही अनुसूचित अधिनियम, संचयी रूप से, इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि इन प्रावधानों की एकमात्र स्थायी व्याख्या न्यायाधिकरण को प्रभावी अधिकार से ढकने के पक्ष में प्रावधानों को व्यापक रूप से पढ़ना होगा। एक ऐसी व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के पक्ष में हो।

अधिकार क्षेत्र को छीनने की तुलना में "।

21.4 एन. जी. टी. की शक्तियों का ऐसा व्यापक रूप होने के कारण,

राजीव सूरी बनाम डी. डी. ए. में व्याख्या "स्वतः संज्ञान को सीमित करने के लिए नहीं थी। 5 (2019) 18 एस. सी. सी. 494

16 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 7.

बृहन्मुंबई का नगरपालिका निगम v. अंकीता सिन्हा और ओआरएस। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

एनजीटी की शक्तियाँ। राजीव सूरी में अनुपात के निहितार्थ की सराहना करने के लिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह 'योग्यता समीक्षा' के विशिष्ट संदर्भ में था और एनजीटी ने अपने पर्यावरणीय जनादेश से परे अतिक्रमण किया था। यही कारण है कि हममें से एक, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर ने कहा कि,

" 503. एनजीटी एक पूर्ण निकाय नहीं है जिसके पास अवशिष्ट चरित्र की चिंताओं को दूर करने के लिए अंतर्निहित शक्तियां हैं। यह एक सांविधिक निकाय है जिसके पास पर्यावरणीय मामलों पर सीमित अधिदेश है और जब वे इसके विचार के लिए सामने आते हैं। उसके समक्ष एक कारण में, एनजीटी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की चिंताओं पर सीधे निर्णय नहीं ले सकता है और एक बार जब किसी विषय की रूपरेखा ईसी के अनुदान से अपील के दायरे को पार कर जाती है, तो न्यायाधिकरण द्वारा गुण समीक्षा कानून द्वारा निहित अधिकार क्षेत्र के दायरे से परे नहीं जा सकती है।

एनजीटी के लिए अवशिष्ट चरित्र की कोई भी अंतर्निहित शक्ति। अपने क्षेत्र में, जैसा कि क़ानून द्वारा स्पष्ट किया गया है, एनजीटी की भूमिका स्पष्ट रूप से स्पष्ट है।

21.6 व्यापक कार्यों और इसके पीछे प्रेरणा के स्रोतों के साथ एक विशेषज्ञ निकाय की आवश्यकता आंध्र प्रदेश में व्यक्त की गई थी

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v. प्रो. एम. वी. नायडू (सेवानिवृत्त) और Ors.[17] जहाँ न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव ने एक खंड पीठ के लिए बोलते हुए ऑस्ट्रेलिया में एक तुलनीय अदालत का उल्लेख किया और निम्नलिखित पर ध्यान दिया,

" न्यू साउथ वेल्स का भूमि और पर्यावरण न्यायालय

1980 में स्थापित ऑस्ट्रेलिया आदर्श हो सकता है। यह अभिलेख का एक उच्चतर न्यायालय है और इसमें चार न्यायाधीश और नौ तकनीकी और सुलह मूल्यांकनकर्ता शामिल हैं। इसका अधिकार क्षेत्र अपील, न्यायिक समीक्षा और प्रवर्तन कार्यों को जोड़ता है। हमारी राय में इस तरह की रचना पर्यावरण के मामलों में आवश्यक और आदर्श है।

उपरोक्त से पता चलता है कि शुरुआत से ही, की भूमिका

एन. जी. टी. केवल एल. आई. एस. की प्रकृति में न्यायनिर्णायक नहीं था, बल्कि समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाने के लिए था जो निवारक, सुधारात्मक या उपचारात्मक प्रकृति की हों। एन. जी. टी. की कार्यात्मक क्षमता का उद्देश्य अपने पर्यावरणीय जनादेश में पूर्ण न्याय करने के लिए व्यापक शक्तियों का लाभ उठाना था।

VII. एन. जी. टी. बनाम-ए-बनाम अन्य की विशिष्टता

ट्राइब्यूनल्स 22.1 जबकि हम देखते हैं कि कई न्यायाधिकरण अपने निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर काम कर रहे हैं, भिन्नताएं उस तरीके से मौजूद हैं जिसमें उन्हें डिज़ाइन किया गया है

17 (1999) 2 एससीसी 718 [2021] 10 एस. सी. आर.

कार्य. सांविधिक न्यायाधिकरणों को चार उपशीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया गया था; अनुच्छेद 323 ए के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण; अनुच्छेद 323 बी के तहत न्यायाधिकरण; विशेष क्षेत्र न्यायाधिकरण और सबसे प्रमुख रूप से; अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायाधिकरण। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, एन. जी. टी. के कर्तव्य इसे चौथी श्रेणी के दायरे में लाते हैं, जिससे कानून द्वारा निरूपित अधिक व्यापक शक्तियों का उपयोग करने के लिए एक सम्मोहक प्रस्ताव तैयार होता है। 22.2 आदर्श यह था कि एक काफी सक्रिय और उत्तरदायी संस्थान बनाया जाए जो स्थिति की मांग के अनुसार अलग-अलग

भूमिकाओं में कदम रख सके। एनजीटी की विशेष और अनूठी भूमिका पर टिप्पणी करते हुए, न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने मेघालय राज्य बनाम ऑल डिमासा छात्र संघ 1 8,

उचित रूप से इस प्रकार देखा गया:

" 163. जिस उद्देश्य के लिए उक्त शक्ति दी गई है, वह खोजने के लिए बहुत दूर नहीं है। एन. जी. टी. अधिनियम, 2010 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, एन. जी. टी. को व्यापक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना होगा और इसके पास व्यापक अधिकार होने चाहिए।

किसी मामले में न्याय करने के लिए शक्तियों की सीमा। शक्ति उन लोगों के लाभ के लिए प्रयोग करने के लिए दी जाती है जिनके पास सफाई का अधिकार है

पर्यावरण जो उन्हें न्यायाधिकरण के समक्ष स्थापित करना है। न्यायाधिकरण को दी गई शक्ति उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के कर्तव्य के साथ जुड़ी हुई है। इस संबंध में संदर्भ है -

एल. हिरडे नारायण बनाम में इस न्यायालय के निर्णय के लिए किया गया। सी. आई. टी. [एल. हिरडे नारायण बनाम। सी. आई. टी., (1970) 2 एस. सी. सी. 355], जिसमें यह न्यायालय कुछ करने के लिए प्राधिकरण को सशक्त बनाने वाले प्रावधान की जांच कर रहा था। इस न्यायालय ने पैरा 14 में कहा है: (एस. सी. सी पी. 359)

“ 14. उच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 35 के तहत आयकर अधिकारी का अधिकार क्षेत्र विवेकाधीन है। यदि इस प्रकार यह अभिप्रेत है कि आयकर अधिकारी को सुधार करने की शक्ति का प्रयोग करने या न करने का विवेकाधिकार है, यह दृष्टिकोण हमारे निर्णय में गलत है। धारा 35 में कहा गया है कि आयुक्त या अपीलीय सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी अभिलेख से स्पष्ट किसी भी गलती को सुधार सकते हैं। यदि कोई कानून किसी लोक अधिकारी को परिस्थितियों के एक निर्दिष्ट समूह में कोई कार्य करने का अधिकार देता है, तो उस पर अपने अधिकार का प्रयोग उस मामले के लिए उपयुक्त तरीके से करना अनिवार्य है जब कोई पक्ष रुचि रखता है और उसे उस ओर से कदम उठाने का अधिकार है और अधिकार के प्रयोग के लिए परिस्थितियां मौजूद दिखाई देती हैं। भले ही क़ानून में उपयोग किए गए शब्द प्रथम दृष्टया सक्षम हों, अदालतें

18 (2019) 8 एस. सी. सी. 177 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेट मुंबई v. अंकीता सिन्हा और ओआरएस। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

किसी नागरिक के सार्वजनिक या निजी अधिकार को लागू करने में सहायता के लिए निवेश की गई शक्ति का प्रयोग करने के कर्तव्य का आसानी से अनुमान लगाएगा।

22.3 अन्य न्यायाधिकरणों के विपरीत एन. जी. टी. की विस्तारित भूमिका को प्रतिबिंबित करते हुए, इस न्यायालय ने इतने स्पष्ट रूप से कहा कि न्याय करना मंच का कर्तव्य है

कानून द्वारा दी गई "अधिकारिता की विस्तृत श्रृंखला" और "शक्तियों की विस्तृत श्रृंखला" का प्रयोग करते हुए।

23. अपने कार्य के दौरान, एनजीटी को दुनिया के सबसे प्रगतिशील न्यायाधिकरणों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। यह

न्यायशास्त्र की छलांग ने हमारे देश को राष्ट्रों के एक विशेष समूह में प्रवेश करने की अनुमति दी है जिन्होंने व्यापक शक्तियों के साथ ऐसे संस्थानों की स्थापना की है। यह समझने के लिए कि एन. जी. टी. को विश्व स्तर पर कैसे माना जाता है, हम उपयोगी रूप से उल्लेख कर सकते हैं।

एनएसडब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया के भूमि और पर्यावरण न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ब्रायन प्रेस्टन के विचारों के अनुसार,

" एनजीटी न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने, कानून के शासन को बनाए रखने के लक्षयों को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए एक विशेष अदालत का एक उदाहरण है

और सुशासन को बढ़ावा देना। 19.

VIII. एनजीटी की एस. यू. आई. जनरल भूमिका

24.1 एन. जी. टी. अपनी तरह का एक मंच होने के नाते, संस्था के लिए एक सुई जेनरिस भूमिका की अवधारणा पर विचार करने के लिए हमारी सराहना करता है। द.

सुई जेनरिस संस्थानों की संरचना को परमजीत कौर बनाम पंजाब राज्य 2 में समझाया गया था, जिसमें न्यायमूर्ति एस. सागीर अहमद ने एक खंड पीठ के लिए इस प्रकार बात की थी,

" 14. सुई जेनरिस की अवधारणा को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में विवादों के समाधान के संदर्भ में लागू किया जाता है। जब संघटक राष्ट्रों द्वारा तैयार किए गए सम्मेलन किसी भी क्षेत्र को क्षेत्रीय रूप से या किसी भी विषय को सामयिक रूप से शामिल नहीं करते हैं, तो निकाय मध्यस्थ को ऐसी कौन सी शक्ति सौंपी गई है जो स्वयं सामान्य कार्य करता है, अर्थात,

अपने दम पर और किसी भी कानून के तहत नहीं।

24.2 डी. जी. एन. एच. ए. आई. बनाम आम आदमी लोकमंछ में न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट ने एन. जी. टी. की सुई जेनरिस भूमिका पर टिप्पणी करते हुए उचित रूप से कहा:

19 गिल, जी (2020)। भारत के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के शक्ति संघर्षों का मानचित्रण: उदय और पतन? एशियन जर्नल ऑफ लॉ एंड सोसाइटी, 7 (1), 85-126। 20 (1999) 2 एससीसी 131 [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 38. धारा 14,15 और अनुसूचियों के एक संयुक्त पठन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एन. जी. टी. ने अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया है -

जिन मामलों में उल्लंघन (यानी प्रदूषण या खतरों के संपर्क में आने आदि के कारण होने वाला नुकसान) किसी भी उल्लंघन का परिणाम है, उनसे निपटने, निर्णय लेने और जहां भी आवश्यक हो, मुआवजे के भुगतान जैसे प्रत्यक्ष उपाय करने या प्रतिस्थापन संबंधी निर्देश देने। पहली अनुसूची में सूचीबद्ध अधिनियम। फिर भी, कि, व्याख्या, में

इस न्यायालय की राय उचित नहीं है।

**** **** **** ****

****

****

****

****

76. धारा 15 (1) (बी) के तहत एनजीटी की शक्ति और अधिकार क्षेत्र

और (ग) पर्यावरण को उस स्थिति में पुनर्स्थापित करने के अर्थ में, जो आक्षेपित अभ्यास से पहले थी, पुनर्स्थापनात्मक नहीं हैं।

या घटना होने से पहले। एन. जी. टी. का अधिकार क्षेत्र एक मायने में उपचारात्मक है, जो अपनी शक्तियों के प्रतिबिंबीत प्रयोग पर आधारित है।
एक अन्य अर्थ में, अपमानजनक प्रथा की प्रकृति के आधार पर, इसकी

शक्तियाँ भी निवारक हो सकती हैं।

77. एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में जो नियामक निकायों के आदेशों और निर्देशों (धारा 16 के तहत) दोनों पर अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।

और एनजीटी अधिनियम की धारा 14,15 और 17 के तहत इसकी मूल अधिकारिता, न्यायाधिकरण, उसके समक्ष किए गए मामलों और आवेदनों के आधार पर, एक विशेषज्ञ नियामक निकाय है। इसके कर्मचारियों में तकनीकी रूप से योग्य और अनुभवी सदस्य शामिल हैं। यह जिन शक्तियों का प्रयोग करता है और संभावित रूप से निर्देश जारी कर सकता है, वे न केवल उससे पहले के लोगों को प्रभावित करते हैं, बल्कि राज्य एजेंसियों और राज्य विभागों को भी प्रभावित करते हैं।
जिनके विचारों को सुना जाता है, जिसके बाद पर्यावरण को प्रभावित करने वाली घटनाओं की भविष्य में घटना को रोकने के लिए सामान्य निर्देश,

जारी किए जाते हैं। "

24.3 उस मामले में, इस न्यायालय ने एनजीटी के लिए एक प्रतिबंधित अधिकार क्षेत्र के लिए तर्क को खारिज कर दिया, और पैराग्राफ 76 में उचित रूप से कहा कि

एन. जी. टी. को प्रदत्त शक्तियाँ प्रतिबिंबीत और निवारक दोनों हैं और एन. जी. टी. की भूमिका को पैराग्राफ 77 में एक विशेषज्ञ के रूप में मान्यता दी गई थी।

नियामक निकाय ", जो वैधानिक ढांचे के भीतर भी सामान्य निर्देश जारी कर सकता है।

24.4 उपरोक्त चर्चा हमें यह कहने की सलाह देगी कि एन. जी. टी. की कल्पना एक विशेष मंच के रूप में की गई थी जो न केवल एक दीवानी अदालत के समान विकल्प के रूप में थी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय से पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों को अपने हाथ में ले।

उनमें से कई महान मुंबई का नगरपालिका निगम v. अंकीता सिन्हा और ओआरएस। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

एन. जी. टी. को हस्तांतरित किए गए मामले, जो उच्च न्यायालयों में सामने आए और इस प्रकार यह मान लेना उचित होगा कि स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू करने के लिए इसी तरह की शक्ति एन. जी. टी. के पास भी उपलब्ध होनी चाहिए। 24.5 एन. जी. टी. पर्यावरण की रक्षा के लिए विशेष और सभी को शामिल करने वाले अधिकार क्षेत्र के साथ सुई जेनरिस

विशेषता वाला एक न्यायाधिकरण है। एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में इसकी न्यायिक भूमिका के अलावा, इसे पर्यवेक्षी निकाय की भूमिका निभाने और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी भी प्रदान की जाती है। बहुआयामी पर्यावरणीय मुद्दों को संभालने की विशेषज्ञता के साथ एक विशेष निकाय होने की आवश्यकता पर्यावरण न्याय के लिए एक सर्वव्यापी ढांचे की अनुमति देती है। पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए जिन तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता हो सकती है, निश्चित रूप से इसके प्रभावी अभ्यास के लिए एक लचीले संस्थागत तंत्र की आवश्यकता होगी।

IX. स्वयं के साथ प्राधिकरण-सक्रिय क्षमता

25.1 एन. जी. टी. के लिए परिकल्पित विविध भूमिका और वैधानिक प्रावधानों को दी जाने वाली उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को देखते हुए, एन. जी. टी. को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी आवश्यक कार्यों को शुरू करने के लिए तंत्र के रूप में मानना उचित होगा और यह, जैसा कि नीचे दी गई चर्चा से होगा, आवश्यक रूप से इसे अपने अधिदेश के प्रभावी निर्वहन के लिए मामलों का स्वतः संज्ञान लेने के अधिकार के साथ पहनना चाहिए।

25.2 इस खंड के लिए विश्लेषण एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 14 के साथ शुरू होना चाहिए और यह बहुत प्रासंगिक है।

इसके नीचे निकाला गया है,

" 14. विवादों को निपटाने के लिए न्यायाधिकरण। - (1) न्यायाधिकरण के पास उन सभी दीवानी मामलों पर अधिकारिता होगी जहां पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न (पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित) शामिल है और ऐसा प्रश्न अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होता है।

(2) न्यायाधिकरण उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले विवादों की सुनवाई करेगा और ऐसे विवादों का निपटारा करेगा और पारित करेगा।

उस पर आदेश दें।

(3) इस धारा के तहत विवाद के निर्णय के लिए कोई भी आवेदन न्यायाधिकरण द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि यह उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है जिस दिन इस तरह के विवाद के लिए कार्रवाई का कारण पहली बार उत्पन्न हुआ था: बशर्ते कि न्यायाधिकरण, यदि वह [2021] 10 एस. सी. आर. है।

इस बात से संतुष्ट होकर कि आवेदक को उक्त अवधि के भीतर आवेदन दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, इसे साठ दिनों से अधिक की अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति दें।

25.3 एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 14 (1) अधिकारिता से संबंधित है, और अधिकारिता प्रावधान स्पष्ट रूप से यह निर्दिष्ट करने के लिए छोड़ देता है कि एनजीटी को कार्रवाई में लाने के लिए आवेदन आवश्यक है। स्थितियों में।

जहाँ धारा 14 (1) की तीन पूर्वापेक्षाएँ अर्थात सिविल मामले; पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न की भागीदारी; और कार्यान्वयन

अनुसूची I के अधिनियमों में से संतुष्ट होते हैं, एनजीटी का अधिकार क्षेत्र और शक्ति सक्रिय हो जाती है। इन भौतिक पहलुओं पर, एनजीटी को केवल एक पीड़ित या इच्छुक पक्ष द्वारा कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत होगा कि एनजीटी द्वारा शक्ति का प्रयोग आवेदन की प्राप्ति से सीमित नहीं है। जब पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं और यह मुद्दा नागरिक प्रकृति का होता है और जो अधिनियम की अनुसूची I में अधिनियमनों से संबंधित होते हैं, तो एनजीटी हमारी राय में आवेदन के अभाव में भी सुधार की दिशा में या नुकसान की रोकथाम की दिशा में कार्रवाई कर सकता है।

25.4 उसी भावना में, हम इन तर्कों में योग्यता पाते हैं कि धारा 14 (1) एक स्वतंत्र विशेषता के रूप में मौजूद है, संचालन द्वारा संकुचित नहीं है।

बाद के उपखंडों का तंत्र। धारा 14 की उप धारा (2) एक परिणाम के रूप में कार्य करती है और धारा 14 (1) में निर्दिष्ट प्रश्नों से विवाद उत्पन्न होने पर लागू होती है। इसी तरह इसके बाद उप धारा (3) आवेदनों से संबंधित सीमा की अवधि को संदर्भित करती है, जब उन्हें एन. जी. टी. को संबोधित किया जाता है। जहाँ न्यायनिर्णयन शामिल है, वहाँ धारा 14 (2) के तहत न्यायनिर्णायक कार्य लागू होता है। जब यह एन. जी. टी. के हस्तक्षेप की आवश्यकता का मामला है, या कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्णय लेने की स्थिति हो सकती है, तो धारा 14 (1) के तहत कार्य किए जा सकते हैं और उनमें कोई औपचारिक आवेदन या न्यायिक प्रक्रिया शामिल नहीं हो सकती है। हालाँकि, बाद के प्रावधान समान रूप से काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए, धारा 14 (1) और एनजीटी के कामकाज के उस व्यापक क्षेत्र के तहत जिम्मेदारियों का अप्रतिबंधित निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए।

25.5 अन्य बातों के साथ-साथ अधिकार क्षेत्र, अंतरिम आदेश, मुआवजे के भुगतान और समीक्षा से संबंधित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के लिए एनजीटी को आवश्यक आदेश पारित करने के लिए किसी भी आवेदन या अपील की आवश्यकता नहीं है। इन महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग एन. जी. टी. द्वारा किए जाने की उम्मीद है, तार्किक रूप से यह सुझाव देगा कि एन. जी. टी. की कार्रवाई/आदेशों को हमेशा महान मुंबई के नगरपालिका निगम की आवश्यकता नहीं है।

अंकीता सिन्हा और ओआरएस। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

25.6 यह ध्यान में रखना भी प्रासंगिक हो सकता है कि विवादित मामलों से निपटने के दौरान, एनजीटी को "पुरस्कार" और "आदेश" पारित करने की आवश्यकता होती है और क़ानून बार-बार "निर्णय" शब्द का उपयोग करता है। इसलिए, विधि आयोग द्वारा सुझाए गए और डी. जी., एन. एच. ए. आई. (उपरोक्त) में मान्यता प्राप्त "निर्णय" शब्द को एन. जी. टी. की गैर-प्रतिकूल या पूछताछ भूमिका से संबंधित करना उचित है। 25.7 अनुच्छेद 21 के अधिकारों की रक्षा करने का कर्तव्य व्याख्या की संकीर्ण दिशा पर नहीं टिक सकता है। प्रक्रियात्मक प्रावधानों को मूल अधिकारों के साथ आने की अनुमति दी जानी चाहिए जो इसमें लागू किए गए हैं

पर्यावरण क्षेत्र, व्यापक सार्वजनिक हित में। विशेष मंच को पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अपने क्षेत्र में प्रभावी होने के लिए, हमें एन. जी. टी. को एक स्वच्छ पर्यावरण के मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई शुरू करने के लिए एक सार्वजनिक जिम्मेदारी देने की आवश्यकता है और प्रक्रियात्मक कानून इसके अनुप्रयोग में अवरोधक नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में, न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर पंजाब और अन्र राज्य में एक खंड पीठ की ओर से बोल रहे हैं। बनाम. शामलाल मुरारी और Anr.²2 22 ने मूल अधिकारों को इतनी सही प्राथमिकता दी है और संक्षेप में कहा है,

“ 8. ..... हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रक्रियात्मक कानून एक अत्याचारी नहीं बल्कि एक सेवक होना है, बाधा नहीं बल्कि न्याय के लिए एक सहायता है। यह बुद्धिमानी से देखा गया है कि प्रक्रियात्मक निर्देश नौकरानी हैं न कि मालकिन, एक स्नेहक, न्याय के प्रशासन में प्रतिरोधी नहीं हैं।

25.8 एनजीटी की शक्ति और जिम्मेदारी पर चर्चा करते हुए, यह है

रियो घोषणा के सिद्धांत 10 को ध्यान में रखना आवश्यक है जो पर्यावरण शासन के प्रमुख स्तंभों के रूप में तीन मौलिक अधिकारों यानी सूचना तक पहुंच, सार्वजनिक भागीदारी तक पहुंच और न्याय तक पहुंच की बात करता है। हालाँकि, निरक्षरता, गतिशीलता की कमी, गरीबी या यहाँ तक कि नागरिकों की ओर से तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण न्याय तक पहुँच बाधित हो सकती

है। एक अन्य निवारक प्रदूषकों/उल्लंघनकर्ताओं के नियमों को दरकिनार करने के लिए पर्याप्त साधनों के साथ शक्तिशाली निकाय होने की संभावना है। इस प्रकार, व्यक्तियों के लिए न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाना हमेशा संभव नहीं हो सकता है, और ऐसी आवश्यकताओं में एनजीटी नहीं बनाया जाना चाहिए।

निष्क्रिय।

22 (1976) 1 एससीसी 719 [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

X. सावधानी सिद्धांत

26.1 एहतियाती सिद्धांत की उत्पत्ति का पता लगाना, स्कॉट

लाफ्रांची ने अपने ग्रंथ 23 में निम्नलिखित अंश में अधिकारियों की सक्रिय भूमिका के बारे में बताया है: -

" कई लोग वर्सोर्जपि्रंज़िप के जर्मन विकास पर विचार करते हैं

एहतियाती सिद्धांत के सही निर्माण को दर्शाता है, इसके प्रकाश में

ध्यान यह "नुकसान से बचने के लिए दीर्घकालिक योजना" पर केंद्रित है

पर्यावरण, स्वास्थ्य के लिए खतरों का शीघ्र पता लगाना और

व्यापक अनुसंधान और कार्य के माध्यम से पर्यावरण
नुकसान के निर्णायक वैज्ञानिक साक्षय की प्रगति "। 16 द.

वोरसोर्जपि्रंज़िप की एहतियाती नींव का वर्णन किया गया है।

एक "कार्रवाई सिद्धांत" के रूप में जो सार्वजनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराता है

जीवन की प्राकृतिक नींव की रक्षा और संरक्षण के लिए

वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए भौतिक दुनिया, और "कर सकते हैं

इसलिए सभी में अल्पकालिक स्थानिकता का मुकाबला करने के लिए उपयोग किया जाए

लोकतांत्रिक, उपभोग उन्मुख समाज "।"

26.2 एहतियाती सिद्धांत की उत्पत्ति स्वयं इस रूप में निहित है

पर्यावरणीय चिंताओं और उपचारों के लिए उन्हें मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराकर एक संस्थागत दायित्व।

26.3 जैसा कि पहले देखा गया है, एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 20 जिसमें शामिल हैं

"निर्णय" शब्द के लिए, "आदेश" और "पुरस्कार" के अलावा, न्यायाधिकरण को एहतियाती सिद्धांत और वैधानिक नियमों को लागू करने की भी आवश्यकता होती है। जनादेश प्रासंगिक होने के कारण निकाला जाता है: -

" 20. कुछ सिद्धांतों को लागू करने के लिए न्यायाधिकरण। - न्यायाधिकरण, जबकि

किसी भी आदेश या निर्णय या पुरस्कार को पारित करने के लिए, के सिद्धांतों को लागू करें

सतत विकास, एहतियाती सिद्धांत और

प्रदूषक भुगतान सिद्धांत "।

26.4 ऊपर निर्धारित सिद्धांत को सबसे व्यापक आयाम में लागू होना चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका उपयोग न केवल न्यायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, बल्कि सरकारी अधिकारियों या प्रदूषकों को अन्य 'निर्णयों' या 'आदेशों' के लिए भी किया जाता है, जब वे इसके कारणों का अनुमान लगाने, रोकने और उन पर हमला करने में विफल रहते हैं।

पर्यावरण क्षरण "24। इसलिए दो पहलू होने चाहिए

23 स्कॉट लाफ्रैंची, एहतियाती सिद्धांत के चल रहे वैश्विक विकास का सर्वेक्षण: एक उभरते पर्यावरण प्रबंधन उपकरण का विकास, 32 बी. सी. एन. वी. टी. एल. एफ़. एल. रेव. 679 (2005) 24 वेल्लोर सिटिजन्स (ऊपर), एस. जगन्नाथन बनाम। भारत संघ (1997) 2 एस. सी. सी. 87, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड बनाम। सी. केंचप्पा और ओआरएस (2006) 6 एससीसी 371।

बृहन्मुंबई का नगरपालिका निगम v. अंकीता सिन्हा और ओआरएस। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

इस बात पर जोर दिया गया कि न्यायाधिकरण को स्वयं निवारक और सुरक्षात्मक उपायों को पूरा करने के साथ-साथ सरकारी और निजी तौर पर भी काम करने की आवश्यकता है पर्यावरणीय हितों को बनाए रखने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार अधिकारी। इस प्रकार, एन. जी. टी. की शक्तियों के लिए एक संकीर्ण व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए जो मंच की शक्तियों के पूर्ण प्रवाह की अनुमति देता है।

पर्यावरण क्षेत्र।

26.5 यह न केवल बयानबाजी का विषय है कि न्यायाधिकरण को हमेशा सतर्क रहना है, बल्कि इस पर कार्रवाई करने की एक महत्वपूर्ण कानूनी जिम्मेदारी भी है।

पर्यावरणीय आवश्यकताओं से निपटने के लिए शीघ्रता। जिम्मेदारी केवल कानूनी अस्पष्टताओं को हल करने की नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय समस्याओं के लिए एक तर्कपूर्ण और उचित परिणाम पर पहुंचने की है जो प्रतिकूल होने के साथ-साथ गैर-प्रतिकूल भी हैं। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बेंजामिन कार्डोजो का उल्लेख करना उचित होगा, जिन्होंने अपने मौलिक ग्रंथ 'न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति' में इस प्रकार कहा है:

" यह सच है कि संहिता और कानून न्यायाधीश को अनावश्यक नहीं बनाते हैं, न ही उसके काम को अनावश्यक और यांत्रिक बनाते हैं। कुछ रिक्त स्थान हैं जिन्हें भरा जाना है। संदेह और अस्पष्टताओं को दूर किया जाना चाहिए। अगर इनसे बचा नहीं गया तो कठिनाइयों और गलतियों को कम किया जाना चाहिए।

उपरोक्त एक सुई जेनरिस निकाय के रूप में एन. जी. टी. के पूर्ववर्ती कार्यों की दिशा में एक संकेत हो सकता है।

XI. पर्यावरणीय न्याय और पर्यावरणीय

समानता

27.1 पर्यावरणीय न्याय और समानता के वैचारिक ढांचे को एन. जी. टी. के क्षेत्र के साथ विचार करने योग्य होना चाहिए और कैसे इसके कामकाज और निर्णयों का बड़े पैमाने पर लोगों के सामाजिक-आर्थिक आयामों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। पर्यावरण न्याय की अवधारणा वितरण न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय और न्याय का एक त्रिगुण है।

मान्यता। 25 एक विकासशील अवधारणा के रूप में पर्यावरणीय समानता ने आर्थिक या सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों पर पर्यावरणीय नुकसान के असमान प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया है। आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों के अलावा, मानव तत्व को उजागर करने के लिए, इस छत्र शब्द के तहत मानवाधिकारों और पर्यावरणीय क्षरण की चिंताएं ओवरलैप होती हैं। पर्यावरणीय समानता इस प्रकार पर्यावरणीय जोखिमों के साथ-साथ सुरक्षा का एक संतुलित वितरण सुनिश्चित करने के लिए है, जिसमें शामिल हैं - सतत विकास सिद्धांतों का अनुप्रयोग।

25 श्लोसबर्ग डी, पर्यावरण न्याय को परिभाषित करना: सिद्धांत, आंदोलन और प्रकृति (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2009)

27.2 के लिए असमान नुकसान के बारे में चिंता व्यक्त करना

गरीब वर्गों में, लोइस जे. शिफर (तत्कालीन सहायक महान्यायवादी, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन प्रभाग (ई. एन. आर. डी.), यू. एस. न्याय विभाग) और टिमोथी जे. डाउलिंग (तत्कालीन ई. एन. आर. डी. में महान्यायवादी) ने पर्यावरण कानून में न्यायालयों की भूमिका पर अपने विचार में, पर्यावरण न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित प्रेरक अंश लिखा,

" पर्यावरण न्याय, जो इस बात पर केंद्रित है कि क्या अल्पसंख्यक और कम आय वाले लोग पर्यावरणीय नुकसान और किसी भी परिणामी स्वास्थ्य प्रभावों के संपर्क में आने का असमान बोझ सहन करते हैं। अतीत में
दस से पंद्रह वर्षों से, इस मुद्दे ने एक घास-जड़ को स्पष्ट कर दिया है

" पर्यावरणीय समानता ", जिसका अर्थ मेला समझा जाता है
पर्यावरणीय जोखिमों का वितरण और उनसे सुरक्षा

पर्यावरणीय नुकसान "। 26

27.3 प्रक्रियात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय के सिद्धांतों के बीच परस्पर संबंध पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। चिंता की बात यह है कि

एक ऐसी प्रणाली बनाएँ जो प्रदूषकों और प्रभावित लोगों के बीच शक्ति के असमान उपयोग को संतुलित करने के लिए पर्याप्त सकारात्मक हो।

" पर्यावरण न्याय वितरण न्याय, या अधिक के साथ शुरू होता है।

सटीक रूप से, वितरण संबंधी अन्याय। अमीर और शक्तिशाली प्राप्त करते हैं

पर्यावरण से कम से कम नुकसान झेलते हुए सबसे अधिक लाभ

हानिकारक गतिविधियाँ; इसके विपरीत, गरीब और अल्पसंख्यकों को सबसे कम लाभ होता है लेकिन सबसे अधिक नुकसान होता है। इसके अलावा, जो लोग लाभान्वित होते हैं वे उन स्थानों को नुकसान पहुँचाते हैं जहाँ लोग रहते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं और स्कूल जाते हैं, जबकि वहाँ रहने वाले लोग अपने समुदाय को नुकसान पहुँचाने के लिए बहुत कम या कुछ नहीं करते हैं। 27

जब एक बड़े वर्ग के लिए मूल न्याय मायावी होता है, एक कथित प्रक्रियात्मक कमी के लिए, बहुत ही वेदी पर मूल अधिकारों के साथ विघटन,

यह निश्चित रूप से एक ऐसी प्रक्रिया लाएगा, जो आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की असमानता को आगे बढ़ाएगी। इसलिए प्रदूषकों और उनके कार्यों से प्रभावित लोगों के बीच असममित संबंधों को पर्याप्त रूप से संबोधित करने के लिए एक "समान आधार" अवधारणा संभव नहीं हो सकती है। इसके बजाय, पहुँचते समय हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के ऐतिहासिक अनुभव की मान्यता और

कानूनी प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग करने से सामाजिक वास्तविकताओं की आवश्यक सराहना और न्याय की भुजा को संतुलित करने में मदद मिलेगी।

26 शिफ़र, एल. जे., और डाउलिंग, टी. जे. (1997)। पर्यावरण कानून में न्यायालयों की भूमिका पर विचार। पर्यावरण कानून, 27 (2), 327-342।

27 जेफ टॉड, पर्यावरण न्याय मुकदमेबाजी में ए "सेंस ऑफ इक्विटी", 44 एचएआरवी। ईएनवीटीएल। एल. आरईवी। 169 , 193 (2020) .

बृहन्मुंबई का नगरपालिका निगम v. अंकीता सिन्हा और ओआरएस। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

27.4 कानून की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि उसे बढ़ावा मिले।

इस भावना को शामिल करके मौजूदा कानूनी अवधारणाओं का और विकास करना। इक्विटी से। जिन मुद्दों की इस न्यायालय को जांच करने का अवसर मिला है

हृदय तक पहुँचने के लिए तंत्र की सीमाओं पर प्रकाश डाला है पर्यावरणीय चिंताएँ। इस न्यायालय ने पहले ढाला है

व्यापक सामाजिक हित के पक्ष में क्षेत्राधिकार संबंधी न्यायशास्त्र, चाहे वह 'जनहित याचिका' के रूप में हो या दायरे का विस्तार

लोकस स्टैंडी।

" संभावित पर्यावरणीय न्याय के मुद्दों की पहचान यह निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण है कि अल्पसंख्यक और कम आय वाले समुदायों में हमारे प्रवर्तन प्रयास कैसे काम कर रहे हैं, और क्या वे अन्य समुदायों में प्रवर्तन प्रयासों के बराबर हैं। 28
27.5 उपरोक्त महत्वपूर्ण चिंताओं की पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय

क्या शिफ़र और डाउलिंग ने ब्लाइंडफोल्ड पर क्या कहा है, इसका विज्ञापन करना चाहिए

लेडी जस्टिस ', जो "समान प्रशासन के आदर्श" का प्रतीक है

नस्ल, पंथ या आर्थिक वर्ग की परवाह किए बिना, हमारे न्यायालयों में आने वाले सभी लोगों के लिए न्याय। 29 इस अवधारणा की प्रासंगिकता विशेष रूप से है

जब हम अधिकांश हाशिए पर पड़े समुदायों की असमर्थता पर विचार करते हैं,

कानूनी तंत्र तक पहुँच बनाने के लिए।

IX. भारत में पर्यावरण संबंधी अनिश्चितता

28.1 उपरोक्त कम से कम बताते हुए, हम एन. जी. टी. को बड़े पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के दायरे में आसानी से रख सकते हैं।

जो इस अनूठी संस्था को सूचित कर रहा है। इस न्यायालय की भूमिका

पर्यावरणीय चिंता के मामलों के बीच कानूनी संबंध स्थापित करना

और नागरिकों के मौलिक अधिकारों ने बहुत सारे अकादमिक साहित्य का निर्माण किया है।

अन्य लोगों के अलावा, आर्मिन रोसेनक्रांज और श्याम दीवान अपने लेखन में

भारत में पर्यावरण कानून और नीति ने नोट किया है कि

पर्यावरणीय चिंताओं से संबंधित कानून काफी उपजाऊ रहे हैं। इस न्यायालय द्वारा न्यायिक नवाचारों के लिए; पर्यावरण की अवधारणा को आगे बढ़ाना।

अपकृत्यों के क्षेत्र से इसे मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ने के लिए कानून 30, पर्यावरणीय मामलों में लोकस स्टैंडी की अवधारणा को उदार बनाना,

विशेषज्ञ समितियों का उपयोग करके प्रदूषकों पर शासन करने के लिए स्वतः संज्ञान शक्तियों का प्रयोग करना

न्यायालय के आदेशों आदि के कार्यान्वयन की निगरानी करना। 3 1

28 सुप्रा नोट 26.

29 आई. बी. आई. 30 ग्रामीण मुकदमा और अधिकार केंद्र और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 652, चरण लाल साहू बनाम भारत संघ (1990) 1 एस. सी. सी. 613, वीरेंदर गौर बनाम हरियाणा राज्य (1995) 2 एस. सी. सी. 577

31 एम. ए. ए. बेग, पर्यावरण कानून और न्याय (1996) देखें। डोमेनिको अमीरांते, तुलनात्मक परिप्रेक्षय में पर्यावरण न्यायालयः भारत के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (2012) पर प्रारंभिक विचार। एम. के. रमेश, पर्यावरण न्यायः कोर्ट एंड बियॉन्ड, इंडियन जो। एन. वी. टी. एल. से। एल. 20 (2002)।

28.2 अनुच्छेद 21,32,48 ए, 51 ए (जी) के दायरे का विस्तार करके, इस न्यायालय ने एक व्यक्ति के लिए प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार की गारंटी दी है। समग्र अस्तित्व। 32 सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का विस्तार कई पर्यावरणीय चिंताओं को निर्धारित करने के लिए एक कसौटी बन गया है। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित निर्णय दिया:

" अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
संविधान और इसमें जीवन के पूर्ण आनंद के लिए प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का आनंद लेने का अधिकार शामिल है। 9 3 3

पर्यावरण का क्षरण। इस न्यायालय द्वारा 'पूर्ण देयता सिद्धांत 34' का निर्माण इसके लिए एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त वसीयतनामा है। यह. इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि इस क्षेत्र में अधिकांश सिद्धांत, संस्थान और तंत्र इस न्यायालय की पहल के कारण बनाए गए हैं।

" जीवन और स्वतंत्रता के संवैधानिक रूप से संरक्षित मौलिक अधिकार को न्यायिक रचनात्मकता के माध्यम से एक स्वस्थ वातावरण के अधिकार जैसे अनिर्दिष्ट लेकिन अंतर्निहित अधिकारों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। ..... इस अधिकार को 1991 में जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई थी। . . अदालत ने तब से भारतीय पर्यावरण न्यायशास्त्र में न केवल स्थापित बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के नवजात सिद्धांतों को भी एकीकृत करके एक स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का प्रतिपादन किया है।" 35

28.4 यह ध्यान दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मानवाधिकारों को एक साथ जोड़कर "न्यायमित्र वातावरण" की भूमिका को अपनाया और

पर्यावरणीय चिंताएँ, जिसके परिणामस्वरूप एक सुई जेनरिस पर्यावरणीय प्रवचन विकसित हो रहा है। 36 पी. आई. एल. याचिकाओं पर विचार करके, उपचार की मांग करते हुए, प्रक्रियात्मक और मूल दोनों तरह के नवाचार किए गए थे।

32 महेश्वर स्वामी, एन. पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण से संबंधित कानून। भारत, थॉम्पसन रॉयटर्स, Vol.I, एड. 5.

34 एम. सी मेहता बनाम भारत संघ, 1987 एस. सी. सी. (1) 395। 35 राजामणि, लावण्या। 2007. भारत में जनहित पर्यावरणीय मुकदमेबाजी: पहुंच, भागीदारी, समानता, प्रभावशीलता और स्थिरता के मुद्दों की खोज करना। जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल लॉ

36 सुप्रा, नोट 19.

जिसमें कानून के अभाव में दिशानिर्देश और निर्देश शामिल हैं। कई ऐतिहासिक मामले जो आज तक किले को धारण करते हैं, कुछ आबादी की 'जोखिम' प्रकृति की मान्यता में थे। एन. जी. टी. का निर्माण स्वयं काफी हद तक इस न्यायालय द्वारा इस तरह के मंच के लिए व्यक्त की गई आवश्यकता के कारण था। 37

28.5 भारत में पर्यावरण और प्रदूषण कानूनों में न्यायमूर्ति टी. एस. दोआबिया ने उन बड़ी सामाजिक चिंताओं पर प्रकाश डाला है जिन्होंने पर्यावरण के मामलों से निपटने के दौरान इस न्यायालय के विचार-विमर्श को सूचित किया है।

" भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अपनी व्याख्या में एक

भारत में पर्यावरणीय न्यायशास्त्र, जबकि इसे मजबूत करना भी

मानवाधिकार न्यायशास्त्र।

..... न्यायालयों ने सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक उदार दृष्टिकोण के साथ भारतीय कानूनों और संविधान की व्याख्या पर विशिष्ट पर्यावरण कानून सिद्धांतों को सफलतापूर्वक अलग कर दिया है। इन सिद्धांतों को अक्सर संविधान में किसी न किसी रूप में प्रतिबिंबित किया गया है, और आमतौर पर संबंधित क़ानून में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं होने पर भी उचित ठहराया जाता है। 38

28.6 इसलिए भारत में पर्यावरण न्यायशास्त्र एक लोकतांत्रिक, कल्याण उन्मुख कानूनी शासन को आगे बढ़ाने के लिए आंतरिक रहा है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मुद्दों का एक व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए और एक समाज केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके अलावा, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय मुद्दों की प्रकृति में तेजी से विकास की प्रवृत्ति है।

बिगड़ना। इस तरह के कई संवेदनशील मामले, जैसा कि उल्लेख किया गया है, एनजीटी को स्थानांतरित कर दिए गए थे, जिसका उद्देश्य था कि उनसे आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता और कानूनी परिष्कार के साथ शीघ्रता से निपटा जाए। उच्च न्यायालय की सक्रियता निश्चित रूप से न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण में देखी जाने की उम्मीद थी।

37 एम. सी मेहता बनाम भारत संघ (1986) 2 एस. सी. सी. 176, भारतीय पर्यावरण कानूनी कार्रवाई परिषद बनाम। भारत संघ (1996) 3 एस. सी. सी. 212, ए. पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम। एम. वी. नायडू (1999) 2 एस. सी. सी. 718, ए. पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड II बनाम। एम. वी. नायडू (2001) 2 एस. सी. सी. 62। 38 न्यायमूर्ति टी. एस. दोआबिया, भारत में पर्यावरण और प्रदूषण कानून, तीसरा संस्करण। , खण्ड 2 (2017)।

प्रबंधन और विकास प्राधिकरण बनाम केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति 3 9 ने इतने संक्षेप में कहा कि,

" 40. कानून का पर्यावरणीय शासन, एक निश्चित स्तर पर, कानून के शासन की अवधारणा का एक पहलू है। लेकिन इसमें विशिष्ट विशेषताएं शामिल हैं जो पर्यावरण शासन के लिए अद्वितीय हैं, ऐसी विशेषताएं जो सुई जेनरिस हैं। कानून का पर्यावरण नियम पर्यावरण

संरक्षण पर चर्चा में संरचना लाने के लिए आवश्यक उपकरण-वैचारिक, प्रक्रियात्मक और संस्थागत बनाने का प्रयास करता है। यह पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए ऐसा करता है-कि अतीत में प्रकृति के साथ मानवता के संपर्क से उन्हें कैसे आकार दिया गया है, वर्तमान में प्रकृति के साथ इसके जुड़ाव और भविष्य की संभावनाओं से वे कैसे प्रभावित होते रहते हैं, अगर हम मानवता के कार्यों के विनाश के मार्ग को मौलिक रूप से नहीं बदलते हैं।

चार्ट किया गया। कानून का पर्यावरणीय नियम कार्बन की प्रकृति और परिणामों के बहु-अनुशासनात्मक विश्लेषण को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है।
पदचिह्न और ऐसा करने में यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विज्ञान, नियामक निर्णयों और नीतिगत दृष्टिकोणों के बीच एक साझा समझ लाता है। यह मानता है कि कानून के पर्यावरणीय शासन में 'कानून' तत्व अवधारणा नहीं बनाता है।

विशेष रूप से वकीलों और न्यायाधीशों का संरक्षण। इसके विपरीत, यह

तैयार करने में सभी हितधारकों को शामिल करना चाहता है
पर्यावरणीय क्षरण, जलवायु परिवर्तन और आवासों के विनाश से उत्पन्न वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतियाँ। द.

कानून का पर्यावरणीय नियम इनकी एक एकीकृत समझ चाहता है।

अवधारणाएँ "।

28.8 यह कानून का यह पर्यावरणीय नियम है जिसे इस अदालत के कहने पर एनजीटी के निर्माण के साथ शामिल किया गया है। प्रोफेसर डोमेनिको अमीरांते ने दुनिया भर में समान निकायों के तुलनात्मक विश्लेषण में कहा है कि,

" पर्यावरण कानून के न्यायिक प्रवर्तन के संदर्भ में

- जिसे हमने देखा है कि एक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए।
न केवल सतत विकास के लिए बल्कि इसके लिए भी शर्त

कानूनी पर्यावरणीय व्यवस्था की स्थिरता-भारत का राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण सबसे व्यापक और व्यापक प्रतीत होता है।

में बनाए गए विशेष पर्यावरण न्यायालयों के बीच आशाजनक

पिछले दशक में एशिया "। 40

39 (2021) 4 एससीसी 309 40 डोमेनिको अमीरांते, तुलनात्मक परिप्रेक्षय में पर्यावरण न्यायालय: भारत के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, 29 पेस एन. वी. टी. एल. पर प्रारंभिक विचार। एल. रेव. 441 (2012)

बृहन्मुंबई का नगरपालिका निगम v. अंकीता सिन्हा और ओआरएस। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

इसलिए एन. जी. टी. विकास का संस्थागतकरण है।

पर्यावरण कानून के क्षेत्र में इस न्यायालय द्वारा बनाया गया। इन प्रगतिशील कदमों ने इसे पर्यावरणीय चिंताओं की एक बहुत व्यापक अवधारणा विरासत में प्राप्त करने की अनुमति दी है। इसलिए इसके कार्यों को संकीर्ण तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, जो भारत में पहले से की गई प्रगति को कम करता है।

पर्यावरण न्यायशास्त्र।

एक्स. निष्कर्ष:

29. इससे पहले कि हम अपना निष्कर्ष निकालें, हम न्यायमित्र के रूप में श्री आनंद ग्रोवर के सक्षम योगदान को स्वीकार करते हैं।

आस्था शर्मा, ए. ओ. आर. जिनसे एनजीटी के स्वत: संज्ञान क्षेत्राधिकार के केंद्रीय मुद्दे पर अदालत की सहायता करने का अनुरोध किया गया था।

30. एन. जी. टी. अधिनियम, जब समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो एन. जी. टी. को केवल न्यायिक भूमिका से परे जाने के लिए बहुत अधिक छूट देता है। पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं के निवारण की क्षमता के साथ एक बहुआयामी निकाय बनाने का संसद का इरादा स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। तदनुसार, पर्यावरण न्याय और पर्यावरण समानता के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से एनजीटी के ताने-बाने के प्रमुख धागे के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। द. एन. जी. टी. को एक सुई जेनरिस संस्थान के रूप में देखा जाना चाहिए और अनुपयोगी बहु-समूह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, और 2010 के अधिनियम में वर्णित पर्यावरण क्षेत्र के क्षेत्र में सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने के लिए इसकी विशेष और अनन्य भूमिका होनी चाहिए।

31. जलवायु परिवर्तन पर पर्यावरणीय प्रभाव अनिश्चित वर्षा, प्रजातियों के विलुप्त होने, प्राकृतिक आवास के नुकसान आदि के रूप में बढ़ती दृश्यता प्राप्त कर रहे हैं। इनमें ताजे जल संसाधनों को कम करने, कृषि उपज को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने की प्रवृत्ति भी है, विशेष रूप से शहरों में। नदी और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और कटाव गंभीर चिंता का

विषय है। सरकारी निकट भविष्य में इस तरह के परिवर्तनों के प्रति भारत की बढ़ती संवेदनशीलता का आकलन भी मौजूद है जिसमें कई देशों ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है और कई अन्य देशों से इसका पालन करने का आग्रह किया गया है।

32. इसलिए, पारिस्थितिकीय असंतुलन की प्रकृति जो हमारे अपने समय में भी दिखाई दे रही है, और अप्रत्याशित अन्याय हो सकता है

41 जलवायु परिवर्तन आकलन, जलवायु परिवर्तन और भारत के लिए भारतीय नेटवर्क: एक 4X4 मूल्यांकन-2030 के लिए एक क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विश्लेषण, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, 16 नवंबर 2010

42 जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन में महासचिव की टिप्पणी। संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र, 12 दिसंबर, 2020।

भविष्य को निर्धारित सीमाओं के भीतर संभालने में सक्षम नहीं हो सकता है आज। दीर्घकालिक और अक्सर अपूरणीय पर्यावरणीय क्षति, जिसके एनजीटी द्वारा रोके जाने की उम्मीद है, इस न्यायालय से 'सातवीं पीढ़ी' की स्थिरता के रूप में विज्ञापित करने का आग्रह करती है

सिद्धांत, या 'इरोक्वोइस का महान कानून' (जैसा कि यह इरोक्वोइस जनजाति से उत्पन्न होता है) जिसके लिए सभी निर्णय लेने की आवश्यकता होती है ताकि सात पीढ़ियों के लाभ का सामना किया जा सके।

33. राष्ट्र और उसके लोगों की भलाई के लिए, पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने के लिए एक लचीला तंत्र होना महत्वपूर्ण है

क्षति और परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन ताकि हम अपने बच्चों और उसके बाद की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर पर्यावरणीय विरासत छोड़ सकें।

34. उन परिस्थितियों में जहां प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है

गंभीर हो सकता है, लेकिन प्रभावित समुदाय प्रभावी ढंग से तंत्र को कार्य में लाने में असमर्थ है, एक मंच विशेष रूप से इस तरह के संबोधित करने के लिए बनाया गया है चिंताओं से

निश्चित रूप से समीचीनता और अपनी मर्जी से आगे बढ़ने की उम्मीद की जानी चाहिए। असमान हानि की संभावना अधिकारियों पर उन अधिकारों को संरक्षित करने के लिए एक उच्च दायित्व लगाती है जो इस तरह की प्रतिबंधात्मक पहुंच के कारण बाधित हो सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि "वैश्विक प्रभाव"

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अल्पसंख्यक और कम आय वाले समुदायों पर असमान रूप से पड़ेगा। 43 इस प्रकार, पर्यावरण न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवेदक के कहने पर केवल निर्णय से परे एक सकारात्मक भूमिका निश्चित रूप से आवश्यक है, जैसा कि कानून स्वयं एनजीटी से अपेक्षा करता है। हम एक ऐसे तर्क को मान्य नहीं कर सकते हैं जो एक दर्शक की भूमिका को सही ठहराने के लिए अनिश्चितता को आगे बढ़ाता है, यदि निष्क्रियता नहीं है, और सबसे निश्चित रूप से अन्याय का परिणाम होगा।

35. एन. जी. टी., इसके लिए परिकल्पित विशिष्ट भूमिका के साथ, शायद ही कर सकता है

जब कोई उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता है तो वह मूक दर्शक बना रहता है। फोरम ने स्वयं पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए सामूहिक रणनीति की आवश्यकता की सही पहचान की है। इस तरह के समाज केंद्रित दृष्टिकोण को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के स्थापित सुरक्षा कवच के भीतर काम करने और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एन. जी. टी. के लिए हैंड्स ऑफ मोड, जब तत्काल और प्रभावी प्रतिक्रिया की आवश्यकता वाली आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है, तो मंच को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने से कमजोर कर देगा और न्याय के हित में इसे खारिज किया जाना चाहिए। 43 सुप्रा नोट 23.]

36. यह बहस करना (जैसा कि यह हुआ है) प्रक्रियात्मक रूप से विभाजनकारी होगा कि एनजीटी उसे लिखे जाने वाले पत्र पर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन सीख रहा है। किसी अन्य माध्यम से पर्यावरणीय आवश्यकता के बारे में एनजीटी को कार्रवाई में नहीं ला सकता है। इस तरह के दृष्टिकोण का समर्थन करना निश्चित रूप से मंच को प्रक्रियात्मक रूप से बंधा हुआ या अक्षम बनाना होगा।

37. जब एन. जी. टी. की रजिस्ट्री को वास्तव में एक संचार या पत्र प्राप्त होता है, जिसमें मीडिया में प्रकाशित मामले भी शामिल होते हैं, तो वह

कार्यालय रिपोर्ट के रूप में ऐसे मामलों पर एन. जी. टी. का ध्यान आकर्षित करके स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू करना। हालाँकि ऐसी परिस्थितियों में सुनवाई के दौरान एनजीटी की सहायता करने और तथ्यात्मक मामलों को साबित करने के लिए, संचार के प्रेषक या समाचार के लेखक को, जैसा भी मामला हो, नोटिस देने की आवश्यकता होगी। यह भी कहा जाना चाहिए कि

स्वतः संज्ञान अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का मतलब प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों से बचना नहीं है। दूसरे शब्दों में, प्रभावित होने की संभावना वाले पक्ष को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।

प्रतिकूल आदेशों का सामना करने से पहले।

38. यदि एनजीटी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा था, तो कोई भी स्वतः संज्ञान क्षेत्राधिकार के खतरे के तर्क को स्वीकार कर सकता है। लेकिन जब यह वैध रूप से अपने वैधानिक जनादेश की रूपरेखा के भीतर और खेल में ऊपर स्पष्ट किए गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के साथ काम कर रहा है, तो

स्वयं को ट्रिगर करें। एक पत्र या 'स्वतः संज्ञान' पहल, विशेष मंच की भूमिका और जिम्मेदारी को कम करने का आधार नहीं हो सकता है।

39. संस्थान जो अक्सर तत्काल चिंताओं को संबोधित कर रहे हैं, लाभ

प्रक्रियात्मक निटपीकिंग से बहुत कम, जो वैधानिक भावना और पर्यावरणीय क्षरण की विकसित प्रकृति दोनों के सामने अनुचित हैं। न केवल एक प्रक्रिया मौजूद होनी चाहिए बल्कि ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए यह सार्थक रूप से प्रभावी होनी चाहिए। ऐसी संस्था की भूमिका यांत्रिक या सजावटी नहीं हो सकती है। इसलिए हमें एक ऐसी व्याख्या अपनानी चाहिए जो सार्वजनिक भलाई की भावना को बनाए रखे और हमारे देश के पर्यावरण प्रहरी को दाँत रहित और अप्रभावी न बनाए।

40. आइए अब हम सैमुअल बेकेट द्वारा लिखित नाटक वेटिंग फॉर गोडोट में दो नायकों के संवादों पर ध्यान दें, जिनके साथ,

हमने इस फैसले की शुरुआत की। विचार-विमर्श के अंत में, हम खुद को यह कहते हुए पाते हैं कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को रूपक गोडोट के अपने पोर्टल पर दस्तक देने की अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा किए बिना, यदि आवश्यकताएं ऐसी मांग करती हैं, तो कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्ववर्ती चर्चा हमें सकारात्मक में नुकीले प्रश्न का उत्तर देने की सलाह देती है। तदनुसार यह घोषित किया जाता है कि एनजीटी [2021] 10 एस. सी. आर. है।

के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में मोटु शक्ति

इन सभी में शामिल सामान्य कानूनी मुद्दे का जवाब देते हुए एनजीटी के स्वतः संज्ञान क्षेत्राधिकार में, हम निर्देश देते हैं कि अब योग्यता के आधार पर अलग से सुनवाई की जा रही है। वास्तव में, यदि एनजीटी के समान/सामान्य आदेश से खाया जाता है, तो ऐसे मामले. रजिस्ट्री आवश्यक कार्य कर सकती है और हममें से किसी एक (न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर) द्वारा बेंच

के समक्ष मामले या आर निर्देश और सुनवाई की तारीख तय कर सकती है। प्रयोजन के लिए, संबंधित मामलों को उनकी पीठ के हिस्से के रूप में नहीं माना जाएगा।

कानूनी मुद्दे का जवाब दिया गया